

**नगर परिषद धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण
प्रतिवेदन**

अवधि 4/2012 से 3/2014

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-(ख)-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद धर्मशाला जिला कांगड़ा के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2014 का अंकेक्षण किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद धर्मशाला में निम्नलिखित प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी तैनात थे :-

(1) प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1)	श्रीमति कमला पटियाल	1.4.2012 से 31.3.2014

(2) कार्यकारी अधिकारी

1)	श्री आर0एस0 वर्मा	1.4.2012 से 21.7.2012
2)	श्री ललित कुमार	22.7.2012 से 31.3.2014

(ख) नगर परिषद धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2014 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार :-

क्रमांक	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹लाखों में)
1)	परिषद की रोकड़ बही तथा बैंक खातों में विगत वर्षों से सम्बन्धित राशि का समाधान न करना	5.1.1	11.59
2)	दिनांक 31.3.2014 तक गृहकर की राशि वसूली योग्य शेष	7	66.64
3)	गृहकर में अनियमित रूप से छूट देने के परिणामस्वरूप नगर परिषद को हानि	7.1	1.09
4)	गृहकर की बकाया राशि को आगामी वर्षों में अग्रेषित न करना	7.2	1.38
5)	विद्युत विभाग से दिनांक 31.3.2014 तक गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	7.3	5.68
6)	मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस व संस्थाना फीस (Installation Fee) की राशि वसूली हेतु शेष	8	4.78

7)	दिनांक 31.3.2014 तक दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष	9	16.97
8)	सामान्य भविष्य निधि खाता धारकों के खाते में शेष जमा राशि व बैंक में जमा शेष में अन्तर	10	14.67
9)	स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय	11	234.68
10)	कार्य प्रगति दर्शाए बिना बेलदारों, मिस्त्रियों व कार्य निरीक्षकों के वेतन व भत्तों की राशि का अनियमित भुगतान करना	11.1	471.12
11)	गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	12	2.21
12)	किराये एवं दण्ड की राशि की वसूली न करना	18	54.14
13)	सामुदायिक भवन के समीप पार्किंग के निर्माण कार्य पर ठेकेदार को अधिक भुगतान	19	1.56
14)	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संविदाकार को राशि का भुगतान करना	22	5.64
15)	कार्य को समय पर पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार से दण्ड स्वरूप राशि की वसूली न करना	24	1.89
16)	परिषद कार्यालय के समीप निर्मित पार्किंग पर निष्फल व्यय	25	19.06
17)	ठेकेदार को दिया गया अनुचित लाभ	26.1	0.34
18)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत राशि का अनियमित व्यय	27	0.90
19)	विभागीय शुल्क की वसूली न करने बारे	30	0.50
20)	कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार कार्यों को समय पर पूर्ण न करने के कारण संविदाकारों से देय दण्ड राशि की वसूली न करना	31	1.09
21)	नगर परिषद निधि से दिनांक 1.1.2007 से 31.3.2014 तक हैल्पर व तकनीशियन के वेतन की राशि का अनियमित भुगतान	38	9.82

2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

नगर परिषद धर्मशाला द्वारा पुराने पैरों के निपटारे हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये थे। नगर परिषद के वर्ष 1954 से लेकर वर्तमान अंकेक्षण तक लगभग 325 पैरे निपटारे हेतु बकाया हैं परन्तु नगर परिषद द्वारा इन पैरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी विशेष कर निर्माण कार्यों से

सम्बन्धित पैरे अन्य गम्भीर प्रवृत्ति के पैरे, जिनमें लाखों रूपयों की अनियमितताओं को प्रकाश में लाया गया था।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 2 में भी इस विषय को प्रमुखतः से उठाया गया था परन्तु अभी भी पुराने पैरों के निपटारे हेतु कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। पुराने पैरों पर कोई कार्रवाई न करने से न तो लेखों के रख-रखाव में सुधार होता है वहीं दूसरी तरफ अंकेक्षण का मूल उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है। अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के विशेष ध्यान में लाया जाता है व नगर परिषद प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि पुराने पैरों के निपटारे हेतु अविलम्ब उच्च स्तरीय कार्रवाई अमल में लाई जाए व की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए ताकि उनका निपटारा किया जा सके। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त निपटारे हेतु बकाया पैरों की स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट-“क” पर दिया गया है।

भाग-दो

3 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद धर्मशाला के लेखों, अवधि 4/2012 से 3/2014 का वर्तमान अंकेक्षण श्री अशोक कुमार सूद, सहायक नियन्त्रक, श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी, श्री पंकज भराडिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री भवनीश पुरी, आर्टिकल असिस्टेंट द्वारा दिनांक 11.12.2014 से दिनांक 20.2.2015 तक के दौरान धर्मशाला में किया गया जिसके आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित माह के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2012-13	3/2013	3/2013
2013-14	3/2014	7/2013

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं हैं अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

4 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद धर्मशाला के अवधि 4/2012 से 3/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क, वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर ₹1,08,000/- आँका गया, इस राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बना कर शिमला भेजने हेतु सहायक नियंत्रक, लेखा परीक्षा की अंकेक्षण अधियाचना संख्या: LAD(Audit)2014-15/A.K.S/P-291, दिनांक 20.2.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को पंजाब नेशनल बैंक के ड्राफ्ट संख्या: 593930, दिनांक 21.2.2015 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु शिमला भेज दिया। उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की गणना की चूक के कारण ₹1000/- की अधिक मांग उठा दी गई थी अर्थात् अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर ₹1,07,000/- जमा करना अपेक्षित था। अतः आर्थिक जमा राशि ₹1000/- आगामी अंकेक्षण की अंकेक्षण शुल्क में समायोजित कर ली जाएगी।

5 वित्तीय स्थिति नगर परिषद निधि

नगर परिषद धर्मशाला की अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 से 3/2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-“ख” (1 से 8) में दिया गया है।

वर्ष 2012-13	
प्रारम्भिक शेष	74,54,498.39
आय	3,92,74,636.00
ब्याज	2,79,728.00
कुल राशि	4,70,08,862.39
व्यय	4,19,12,131.00
अंतिम शेष	50,96,731.39
Closing Balance on 31-3-2013	50,96,731.39

ADD

Adjustments made in cash book in the month of Nov. 2012

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 4/10 से 3/12) अनुसार जी0पी0एफ से सम्बन्धित राशि जोकि रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज कर ली गयी

Date	Cheque No.	Amount
9-2-2011		23,760
Apr-10		7,000

16-3-2011 1,500
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 4/10 से 3/12) अनुसार चैक जो जारी किए गए परन्तु दिनांक 31.3.2010 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए जोकि रोकड़ बही में दर्ज कर लिए

12-6-2003	598450	3,650
2-11-2004	579669	2,082
2-11-2004	574670	5,000
20-5-2006	769180	3,960
15-11-2006	159776	500
5-3-2007	245651	4,000
28-6-2011	524957	3,900
8-9-2011	469208	2,880
6-10-2010	322981	7,500
22-4-2010	319588	360

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 4/10 से 3/12) अनुसार दिनांक 31.3.2007 को रोकड़ बही के अनुसार चैक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए को रोकड़ बही में दिनांक 30.11.2012 का जमा कर लिया गया

245657 22,076

रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में अधिक दर्शाई गई राशि जो आय पक्ष में दिनांक 30.11.2012 को जमा कर ली गई

7-4-2012 175588 1,15,200

2,03,368

2,03,368.00

53,00,099.39

Less: गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 4/10 से 3/12) अनुसार पैरा 6 अनुसार दर्शाई राशि

29,500.00

52,70,599.39

वर्ष 2013—14

प्रारम्भिक शेष 52,70,599.39

आय 5,25,85,789.00

ब्याज 29,16,553.00

कुल राशि 6,07,72,941.39

व्यय	5,16,99,093.00
अन्तिम शेष	90,73,848.39

5.1 बैंक समाधान विवरणी

Closing Balance as per Financial Position **90,73,848.39**
 ADD (1) Cheque Issued but not presented for payment in bank upto 31-3-2014

Date	Cheque No.	Amount	
27.3.2014	721434	2,25,924	
27.3.2014	721435	1,75,816	
27.3.2014	721437	2,000	
27.03.2014	721440	1,678	
27.3.2014	721443	80,000	
27.3.2014	230385	7,471	
1 / 2014	826825	3,442	4,96,331

(ii) deposit fund in pass book not taken in cash book

Date	Amount	
6.1.2014	35	
7 / 2013	391	
29.3.2014	10	436
Total		95,70,615.39

Less:

Income received but not credited in bank up to 31-3-2014

Date	Cheque No./ Bank	Amount	
28.3.2014	Ch. 098372/SBI Patiala	410	
27.2.2014	Ch. 326567/UCO Bank	26,170	
28.3.2014	Ch. 328901/K.C.C Bank	27,490	(-) 54,070
	Previous Difference		(-) 11,59,010.72
	Income Cheques not cashed		

Dated	Amount	
12-3-2011	1,000	
3/2011	Bank charges not taken in Cash Book	24
		96
		(-) 1,120

83,56,414.67

Balance as per pass Book

83,56,413.27

Difference

1.40

Bank Account No.

Bank

3373000100035036

PNB D/Sala

53,76,040.97

281291

PNB D/Sala

29,80,372.30

83,56,413.27

5.1.1 परिषद की रोकड़ बही तथा बैंक खातों में विगत वर्षों से सम्बन्धित राशि ₹11.59 लाख का समाधान न करना

परिषद निधि की रोकड़ बही व बैंक खातों में विगत वर्षों से राशि ₹11,59,010.72 का अन्तर दर्शाया जा रहा है। जो एक गम्भीर अनियमितता है परिषद द्वारा लगभग 5 वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी उक्त अन्तर की राशि का बैंक खातों के साथ मिलान नहीं किया गया विगत वर्षों की बैंक समाधान विवरणी के अनुसार यह राशि सम्बन्धित बैंक खातों में कम जमा पाई गई इस स्थिति में राशि के दुविनियोजन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, शिमला-02 के विशेष ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

5.2 अनुदान

वर्ष	2012-13
अथशेष	3,23,50,018.19
पावतीयां	3,95,14,641.50
ब्याज	38,22,871.36
कुल योग	7,56,87,531.05
व्यय	3,68,48,750.74
अन्तशेष	3,88,38,780.31

Closing Balance as on 31-3-2013 3,88,38,780

Add: Cheque not presented for payment (Period 4/2007 to 3/2010)
taken in cash book on dated 7/7/2012

Month	Cheque No.	Amount	
7-Sep	534747	151222	1,51,222
			3,89,90,002.31

Less: Previous Difference as per Bank reconciliation of Audit Report (Period 4/98 to 3/2007 now entered in cash book page No. 170 on dated 9/2012) **20,93,396.61**

3,68,06,605.7

Difference 246.69

Opening Balance Taken in Cash Book as on 1-4-2013 3,68,96,852.39

वर्ष	2013-14
अथशेष	3,68,96,852.39
पावतीयां	13,91,00,679.00
ब्याज	8,55,029.00
कुल योग	17,68,52,560.39
<u>व्यय</u>	<u>3,24,13,146.85</u>
अन्तशेष	14,44,39,413.54

Closing Balance as per Cash Book	13,94,39,413.54
Difference: 50,00,000/- (Grant received on 31-3-2014 but taken in cash book on May 2014)	50,00,000.00
Total	14,44,39,413.54

5.2.1 बैंक समाधान विवरणी

Add: Cheque issued but not presented for payment in bank upto 31-3-2014

Date	Cheque No.	Amount	
6-11-2013	401774	49,167	
14-3-2014	926524	3,200	
14-3-2014	966527	4,000	56,367.00
			14,44,95,780.54
	Balance as per Bank		14,44,95,778.88
	Difference		1.66
Detail of Bank Balance	Bank		
	PNB D/Sala		1,10,92,234.88
	KCC Bank Kotwali Bazar		3,94,784.00
	ICICI Bank		33,879.00
	J&K Bank		43,513.00
	FDRs		13,29,31,368.00
			14,44,95,778.88

5.2.2 अवधि 4/98 से 3/2007 के लेखाओं की बैंक समाधान विवरणी में दर्शाए गए अन्तर की राशि 20.93 लाख को माह 9/2012 में अनुदान की रोकड़ बही शेष राशि से कम करके समायोजन किया जाना

नगर परिषद द्वारा माह 9/2012 के दौरान अनुदानों की रोकड़ बही में अंकेक्षण अवधि 4/1998 से 3/2007 के लेखाओं के बैंक समाधान विवरणी में दर्शाई गई अन्तर राशि ₹20,93,396.61 का समायोजन कर रोकड़ की शेष राशि से कम कर दिया गया परन्तु कम की गई इस अन्तर राशि से सम्बन्धित मूल अभिलेख सत्यापना हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया

गया। अतः सम्बन्धित मूल अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर व सत्यापित करवा कर की गई कार्रवाई को उचित ठहराया जाए।

5.3 आई0डी0एस0एम0टी0 निधि

वर्ष	2012-2013
अथशेष	21,74,382.70
पावतीयां	8,05,085.00
ब्याज	80,035.00
कुल योग	30,59,502.70
<u>व्यय</u>	<u>27,51,003.00</u>
अन्तशेष	3,08,499.70

Closing Balance as per Financial Position

3,08,499.70

जमा: गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार चैक जो दिनांक 31.3.2010 से पहले जारी किए गए लेकिन बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए जोकि माह नवम्बर 2012 में रोकड़ बही में पुनः दर्ज किए

Date	Cheque No.	Amount	
10-1-2005	571987	12,000	
10-1-2005	571988	2,000	
19-9-2008	254959	4,500	18,500
नगर परिषद निधि से सम्बन्धित प्राप्तियां जोकि आई0डी0एस0एम0टी0 निधि के बैंक खाते में जमा करवाई, जोकि माह जनवरी 2013 में रोकड़ बही में दर्ज की			
11-10-2010		3,815	
1-1-2011		11,273	
Nov. 2011		2,000	17,088
रोकड़ बही पृष्ठ-95 अनुसार राशि			<u>4,590</u>
			<u>3,48,677</u>

माईनस:

आई0डी0एस0एम0टी0 निधि से सम्बन्धित प्राप्तियां जोकि नगर परिषद निधि के बैंक खाते में जमा करवाई, जोकि माह जनवरी 2013 में रोकड़ बही में ली गयी

Oct, 2010	3,540
22-11-2010	11,150
15-3-2011	710
21-1-2012	400

Apr, 2012	320	
7-2-2012	400	<u>16,520</u>
		<u>3,32,157.70</u>

वर्ष	2013—2014
अथशेष	3,32,157.70
पावतीयां	21,25,570.00
ब्याज	48,963.00
<u>कुल योग</u>	<u>25,06,690.70</u>
<u>व्यय</u>	<u>12,57,027.00</u>
<u>अन्तशेष</u>	<u>12,49,663.70</u>

5.3.1 बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	12,49,663
जमा: माह 2/2014 को बैंक खाते में अधिक जमा राशि	2,900
दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही के अनुसार बैंक खाते में जमा शेष राशि	₹12,52,563
दिनांक 31.3.2014 तक बैंक खाता संख्या: 3573000100050026 में शेष राशि	₹12,52,563

5.4 एस0जे0एस0आर0वाई0 निधि

वर्ष	2012—2013	2013—2014
अथशेष	4,33,227	8,72,350
पावतीयां	10,29,736	73,380
ब्याज	9,687	7,131
<u>कुल योग</u>	<u>14,72,650</u>	<u>9,52,861.00</u>
<u>व्यय</u>	<u>6,00,300</u>	<u>7,91,883.70</u>
<u>अन्तशेष</u>	<u>8,72,350</u>	<u>1,60,977.30</u>

बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	1,60,977
दिनांक 31.3.2014 तक बैंक खाता संख्या: 3573000101060002 में जमा राशि	₹1,60,977

6 अनुदान

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई राशियों का विवरण परिशिष्ट "ग" (पृष्ठ—1 से 18) में विस्तार से दिया गया है।

6.1 दिनांक 31.3.2014 तक अनुदानों की राशि ₹1356.20 लाख उपयोग हेतु शेष

दिनांक 31.3.2014 तक प्राप्त अनुदानों की राशियों में से राशि ₹13,56,19,766 उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि का पूरा ब्यौरा परिशिष्ट "ग(i) व (ii) दिया गया है। अतः इस राशि का व्यय अनुदान की शर्तों व विहित उद्देश्य हेतु किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा उपयोग की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र समबन्धित संस्था को प्रेषित करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.2 निवेश

दिनांक 31.3.2014 को ₹13,29,31,368/- का निवेश सहायक अनुदान निधि खाते से किया गया दर्शाया गया है, किए गए निवेश की राशि का विस्तारपूर्वक विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट(ख)(1) पर दिया गया है।

7 गृहकर

दिनांक 31.3.2014 तक गृहकर की राशि ₹66.64 लाख वसूली योग्य शेष

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 150, दिनांक 15.12.2014 के प्रति उत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद धर्मशाला द्वारा वर्ष 2012-13 व 2013-14 के दौरान गृहकर की मांग प्राप्ति व अग्रिम शेष का विवरण निम्न प्रकार सूचित किया गया :-

1 वर्ष	2 आरम्भिक शेष	3 मांग	4 कुल राशि (2+3)	5 प्राप्ति	6 अन्तिम शेष (4-5)
2012-13	1,16,87,720	1,05,44,650	2,22,32,370	1,44,54,374	77,77,996
2013-14	77,77,996	1,35,24,590	2,13,02,586	1,46,38,290	66,64,296

उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि दिनांक 31.3.2014 तक गृहकर की राशि ₹66,64,296/- वसूली योग्य शेष थे। अतः परिषद उक्त राशि की वसूली हेतु पालिका अधिनियम 1994 की धारा 86 के अनुसार कार्रवाई करते हुए इस विभाग को अनुपालना से अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

7.1 गृहकर में अनियमित रूप से छूट देने के परिणामस्वरूप नगर परिषद को राशि ₹1.09 लाख की हानि बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने अपने गृहकरदाताओं को गृहकर कि बकाया राशि पर अनियमित रूप से रियायत दे कर ₹1,08,610/- की कम वसूली की। नियमानुसार गृहकर की छूट केवल उन्हीं करदाताओं को दी जानी थी जिन्होंने गृहकर का भुगतान बिल जारी होने के 15 दिन के अन्दर किया हो। नियमों में बकाया राशि पर किसी भी

प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है फिर भी नगर परिषद ने इस नियम की अवहेलना कर करदाताओं को विगत वर्षों की बकाया राशियों पर भी अनियमित छूट प्रदान कर दी जिस कारण नगर परिषद को निम्न विवरणानुसार राशि ₹1,08,610/- की हानि हुई।

अतः अनियमित रूप से प्रदान की गई इस छूट को नियमों के अन्तर्गत उचित ठहराया जाये अन्यथा राशि ₹1,08,610/- की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त परिषद निधि में जमा करवाकर इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

रजिस्टर नं०/ वर्ष	हाऊस नं०/ रजिस्टर पेज नं०	नाम	गृहकर की बकाया राशि	अवधि जिस हेतु राशि बकाया थी	भुगतान की राशि	भुगतान की तिथि/माह	रियायत की राशि
II/2013-14	76	चुनी लाल	28144	12-13	16010	3.3.14	12134
II/2012-13	179-A	नवनीत ठाकुर	7560	11-12	6805	5/2012	755
III/2012-13	211	अजय सिंह	87818	11-12	74510	4/2013	13,308
III/2012-13	240	किशन चन्द	9720	11-12	8750	12.7.12	970
III/2012-13	42	कुलदीप पटियाल	341996	11-12	324548	17.10.12	17448
III/2012-13	360	सपाई वैलि	100520	11-12	90470	16.7.12	10050
III/2012-13	44	कुलजीत सिंह	8100	11-12	7290	28.7.12	810
I/2013-14	38	होटल कुनाल	115765	12-13	104190	20.5.13	11575
I/2013-14	38	होटल धौलाधार	214315	12-13	192885	20.5.13	21430
I/2013-14	38	होटल कश्मीर	65475	12-13	58930	20.5.13	6545
I/2013-14	52	हाऊस सुरिन्द्र कक्कर	45220	12-13	35635	1.2.14	9585
I/2013-14	275-B	सेक्रेटरी राजपूत ट्रस्ट	30545	12-13	27470	20.5.13	3055
I/2013-14	299	शबविता देवी	9450	12-13	8505	10.2.14	945
कुल योग							₹1,08,610

7.2 गृहकर की बकाया राशि ₹1.38 लाख को आगामी वर्षों में अग्रेषित न करना

मांग व वसूली रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि नीचे दिए विवरणानुसार गत वर्ष से सम्बन्धित गृहकर की बकाया राशियों को आगामी वर्ष में या तो कम अग्रेषित किया गया है या फिर अग्रेषित नहीं किया गया था। अतः गत वर्षों की गृहकर राशियों को कम अग्रेषित/अग्रेषित

न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि ₹1,37,782/- को अग्रेषित करके लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	रजिस्टर नं० / वर्ष	हाऊस नं०	नाम	12-13 में बकाया राशि	13-14 में अग्रेषित राशि	अन्तर
1)	III/2013-14	35	वासुदेव	24570	24440	130
2)	II/2013-14	73	शुभमन दास	16200	12690	3510
3)	II/2013-14	120	कंवर पाल जग्गी	356400	265050	91350
4)	II/2013-14	475	जगन नाथ	3750	3150	600
5)	II/2013-14	543	विरेन्द्र सिंह	740	---	740
6)	II/2012-13	365-ए	ए०न० सूद	4298	---	4298
7)	II/2012-13	371-ए	मेहर	1754	---	1754
8)	II/2013-14	58	सुदेश कुमारी	13946	9590	4356
9)	III/2013-14	245	पुन्नु राम	3844	3044	800
10)	I/2012-13	74	Exn. PWD	30244	---	30244
					कुल योग	₹1,37,782

7.3 विद्युत विभाग से दिनांक 31.3.2014 तक गृहकर के रूप में ₹5,68,026 की राशि वसूली हेतु शेष

जाँच में पाया कि विद्युत विभाग से निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2014 तक गृहकर के रूप में ₹5,68,026/- की राशि वसूली हेतु शेष थी :-

क्र०सं०	गृह विवरण	बकाया राशि (₹)
1)	Executive Engineer, HPSEB office, H.No. 154	5406
2)	SDO, HPSEB office, H.No. 155	14,666
3)	Chief Engineer office, HPSEB	57,679
4)	Executive Engineer office, HPSEB, H.No. 122D	1,44,180
5)	Executive Engineer, HPSEB, H.No. 122D	1,08,135
6)	Chief Executive Engineer, HPSEB	2,33,625
7)	SDO, HPSEB	4,335
कुल बकाया राशि		₹5,68,026/-

अतः उपरोक्त बकाया राशि ₹5,68,026/- का समायोजन स्ट्रीट लाईट के बिलों में करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

8 मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस व संस्थाना फीस (Installation Fee) की राशि ₹4.78 लाख वसूली हेतु शेष

सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या: 2311, दिनांक 22.8.2006 के अनुसार मोबाईल टावर की नवीनीकरण फीस ₹5,000/- प्रति वर्ष प्रति टावर व संस्थापना फीस ₹10,000/- प्रति टावर वसूल की जानी अपेक्षित थी। जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2014 तक मोबाईल टावरों की नवीनीकरण व संस्थाना फीस की राशि ₹4,78,750/- वसूली हेतु लम्बित थीं जिस का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-“घ” में दिया गया है। इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु बकाया रहना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त राशि की शीघ्र वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जाएं।

9 किराये की राशि ₹16.97 लाख दिनांक 31.3.2014 तक वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराए/पट्टे पर चढ़ाया गया था जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2014 को किराए के रूप में राशि ₹16,96,797/- वसूली हेतु लम्बित थी। जिस का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-“ङ” में दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि किराये की बकाया राशि की वसूली नगर पालिका अधिनियम 1994 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

9.1 नगर परिषद की दुकानों के किराये का पुर्ननिर्धारण न करने बारे

जाँच में पाया गया कि नगर परिषद की लगभग 275 दुकानों के किराये के रूप में नाम मात्र राशि प्राप्त की जा रही हैं। अतः इन दुकानों का किराया एक निश्चित अवधि के पश्चात् बढ़ाया जाना अपेक्षित था अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2010-11 एवं 2011-12 के पैरा संख्या: 12(ख) में भी इस मुद्दे को उठाया गया था लेकिन परिषद द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः समय पर किराए का पुनः निर्धारण करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

9.2 किराया निर्धारित न करने बारे

नगर परिषद की भूमि पर बहुत से किरायेदार काबिज हैं जिनसे नाममात्र किराया वसूला जा रहा है जिसका भी पुनः निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2010-11 एवं 2011-12 के पैरा 12(ग) में भी मुद्दा उठाया गया था लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

9.3 किराएदारों के साथ अनुबन्ध न करना

जाँच में पाया गया कि नगर परिषद के अधिकतर किरायेदार बिना किसी अनुबन्ध से ही नगर परिषद की सम्पत्ति, दुकान, जमीन एवं भवन इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं जिससे नगर परिषद को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। इसका संक्षिप्त विवरण अंकेंक्षण प्रतिवेदन अवधि 2010-12 के पैरा 12(घ) में दिया गया है।

उपरोक्त प्रकरणों से स्पष्ट है कि नगर परिषद की ओर से आय बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है जोकि एक चिन्ता का विषय है अतः शीघ्र उचित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

10 सामान्य भविष्य निधि खाता धारकों के खाते में दिनांक 31.3.2014 तक शेष जमा राशि व सम्बन्धित बैंक खाते में जमा शेष राशि में ₹14.67 लाख का अन्तर पाया जाना

सामान्य भविष्य निधि अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2014 को नगर परिषद के सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों के खातों में कुल राशि ₹61,72,827/- शेष जमा थी जिसका विवरण परिशिष्ट-“च” पर दिया गया है जाँच में पाया गया कि इस निधि के सम्बन्धित बैंक खातों में दिनांक 31.3.2014 को केवल ₹47,05,207 जमा थे जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	बैंक का नाम/विवरण	राशि
1)	कांगड़ा सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक खाता सं० 20075043062 में दिनांक 31.3.2014 को जमा अन्तशेष	17,20,634
2)	कांगड़ा सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक सावधी जमा योजना (एफडी) संख्या 1262447) में निवेशित राशि	29,84,573
कुल जमा राशि		47,05,207

इस प्रकार खाता धारकों के खातों में दिनांक 31.3.2014 तक जमा अन्तशेष बैंक में जमा राशि से ₹14,67,620 कम पाया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अन्तर की राशि ₹14,67,620 का मिलान करके कारणों से अंकेंक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 स्थापना व्यय के सन्दर्भ में

परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्थापना पर राशि ₹234.68 लाख का अनियमित व्यय किया जाना

हिमाचल प्रदेश मयुन्सिपल एक्ट 1994 के नियम 53(1)(सी) के अनुसार नगर परिषदों/नगर पंचायत के स्थापना व्यय, जिसमें कर्मचारियों का वेतन व भत्ते, भविष्य निधि व गैरच्युटी तथा सदस्यों को देय भत्ते इत्यादि भी शामिल हैं, की सीमा वर्ष में किए गए कुल व्यय का एक तिहाई निर्धारित की गई है किन्तु परिषद ने वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में उपरोक्त नियम का उलंघन करते हुए स्थापना पर राशि ₹2,34,68,491/- का निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	कुल व्यय	स्थापना पर वांछित व्यय (कुल व्यय का 1/3 भाग)	स्थापना पर वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
2012-13	8,21,12,185	2,73,70,728	3,61,29,117	87,58,389
2013-14	7,91,46,304	2,63,82,101	4,10,92,203	1,47,10,102
कुल अधिक व्यय				2,34,68,491

अतः स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक किए गए अनाधिकृत व्यय का स्पष्टीकरण ठोस कारणों सहित प्रस्तुत करते हुए किए गए अधिक व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर, किए गए व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाने के अतिरिक्त भविष्य में इस व्यय को निर्धारित सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11.1 कार्य प्रगति दर्शाए बिना बेलदारों, मिस्त्रियों व कार्य निरीक्षकों के वेतन व भत्तों की राशि ₹471.12 लाख का अनियमित भुगतान करना

अभिलेखों की जाँच उपरान्त पाया गया कि नगर परिषद धर्मशाला द्वारा 68 बेलदार, 7 मिस्त्री, 8 कार्य निरीक्षक इत्यादि की नियुक्तियाँ नगर परिषद सीमा में निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु की गई थी लेकिन अंकेक्षण में पाया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 4/12 से 3/14 के दौरान सभी छोटे-बड़े कार्य ठेकेदारों द्वारा करवाये गए थे जबकि उक्त बेलदारों, मिस्त्रियों व कार्य निरीक्षकों को कार्य प्रगति दर्शाए बिना वेतन व भत्तों के रूप में वर्ष 2012-13 में ₹1,99,93,725/- तथा वर्ष 2013-14 में ₹2,71,18,754/- का भुगतान किया गया जोकि अनियमित था उपरोक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 155, दिनांक 17.12.2014 द्वारा परिषद के ध्यान में लाया गया जिसके सन्दर्भ में परिषद के पत्र संख्या: 2411, दिनांक 19.2.2015 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया कि उक्त कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2012-13 व 2013-14 के दौरान निर्माण कार्यों पर क्रमशः 1170 बोरी तथा 1070 बोरी सीमेन्ट प्रयोग की गई अतः इन कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए कार्य की प्रगति, भुगतान किए गए वेतन व

भत्तों की राशि के अनुरूप नहीं पाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में नगर परिषद द्वारा छोटे-छोटे कार्यों का निष्पादन नगर परिषद के उक्त कर्मचारियों से करवाया जाए तथा इनके वेतन व भत्तों की राशि को करवाए गए सम्बन्धित कार्यों के खाते में डेबिट किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

12 राशि ₹2.21 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

पत्र संख्या: Pen(AP-II) CP(A)-3/84, दिनांक 24.11.1998 के निर्देशों के अनुसार लिपिक जिसकी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की गई हो, को वार्षिक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ टंकण परीक्षा पास करने के पश्चात् ही दिया जा सकता है लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया कि कुमारी शोभना की नियुक्ति लिपिक पद पर दिनांक 18.4.2001 को अनुकम्पा के आधार पर की गई थी कुमारी शोभना द्वारा दिनांक 31.3.2014 तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी फिर भी दिनांक 31.3.2014 तक वेतन वृद्धियां जारी की गई जबकि उपरोक्त पत्र संख्या के निर्देशों के अनुसार वेतन वृद्धियां देय नहीं थी। इस प्रकार दिनांक 31.3.2014 तक कुमारी शोभना को ₹2,21,341/- के वेतन व भत्तों की राशि का अधिक भुगतान किया गया था, इसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-‘छ’ में दिया गया है। इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 280, दिनांक 11.2.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः उपरोक्त अधिक भुगतान की राशि ₹2,21,341/- की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

13 गलत तिथियों से वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के कारण कर्मचारियों को ₹0.19 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना

प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: Fin(PR)B(7)-64/2010, दिनांक 24.9.2012 तथा सम अधिसूचना संख्या दिनांक 27.9.2012 के अनुसार निम्न लिपिकों का वेतन दिनांक 1.10.2012 से पे बैण्ड 10300-34800+3200 ग्रेड पे में निम्नानुसार निर्धारित किया गया :-

(1) श्री राजेश कुमार (लिपिक)

Pay on	1-1-2012	10010+1950=11960
	1-10-2012	10300+3200=13500
	1-1-2013	10710+3200=13910
	1-1-2014	11130+3200=14330

जबकि उक्त अधिसूचना दिनांक 24.9.2012 के नियम 5 सह पठित नियम 7 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान वेतन संशोधित पे बैंड से कम हो तो उस कर्मचारी का वेतन संशोधित पे बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाने के फलस्वरूप आगामी वेतन वृद्धि 12 माह का अर्हक सेवा काल पूर्ण करने के पश्चात् देय होगी अतः इस नियम के अनुसार श्री राजेश कुमार लिपिक का वेतन निम्न अनुसार निर्धारित किया जाना था :-

Pay on	1-1-2012	10010+1950=11960
	1-10-2012	10300+3200=13500
	1-10-2013	10710+3200=13910

अतः निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2014 तक श्री राजेश कुमार (लिपिक) को ₹9285/- का अधिक भुगतान किया गया था।

Period	B.Pay Drawn	B.Pay Due	Difference	D.A %age	Total Mohth	Excess Payment
1-1-13 to 30-6-13	13910	13500	410	80%	6	4428
1-7-13 to 30-9-13	13910	13500	410	90%	3	2337
1-1-14 to 31-3-14	14330	13910	420	100%	3	2520
कुल वसूली योग्य राशि						₹9,285

इसी प्रकार श्री रविन्द्र कुमार (लिपिक) का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया गया था

Basic Pay on	1-1-2012	10010+1950=11960
	1-10-2012	10300+3200=13500
	1-1-2013	10710+3200=13910
	1-1-2014	11130+3200=14330

जबकि नियमों के अनुसार वेतन का निर्धारण इस प्रकार किया जाना अपेक्षित था :-

Basic Pay on	1-1-2012	10010+1950=11960
	1-10-2012	10300+3200=13500
	1-10-2013	10710+3200=13910

अतः निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2014 तक श्री रविन्द्र कुमार (लिपिक) को ₹9,285/- का अधिक भुगतान किया गया था।

Period	B.Pay Drawn	B.Pay Due	Difference	D.A %age	Total Mohth	Excess Payment
1-1-13 to 30-6-13	13910	13500	410	80%	6	4428

1-7-13 to 30-9-13	13910	13500	410	90%	3	2337
1-1-14 to 31-3-14	14330	13910	420	100%	3	2520

कुल वसूली योग्य राशि ₹9,285

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 31.3.2014 के पश्चात् की अवधि के लिए वसूली योग्य राशि की गणना परिषद अपने स्तर पर करके वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

14 श्री सुनील कुमार (सहायक ड्राफ्टमैन) को वेतन व भत्तों की राशि ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान

श्री सुनील कुमार की सेवा पुस्तिका तथा ई0सी0आर की जाँच करने पर पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में सेवा पुस्तिका में निर्धारित वेतन से अधिक वेतन का आहरण व भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष 2012-13

Period	आहरित वेतन	सेवा पुस्तिका के अनुसार वेतन	Excess Paid
4/2012	15400	15340	60
5/2012 to 9/2012	15870	15340	530
10/2012 to 3/2013	15870	15740	130

वर्ष 2013-14

5/2013 to 6/2013	16350	16220	130
7/2013 to 3/2014	16750	16220	530

अधिक वेतन का अहरण वेतन लिपिक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी को कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाती है जिससे नगर परिषद को ₹15,646/- की हानि हुई, जिसकी क्षतिपूर्ति उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही से परिहार किया जाए। अधिक भुगतान एवं वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

Period	B.Pay Drawn	B.Pay Due	Difference	D.A %age	Total Mohth	Excess Payment
4/2012	15400	15340	60	65%	1	99
5/2012 to 6/2012	15870	15340	530	65%	2	1749
7/2012 to 9/2012	15870	15340	530	72%	3	2735
10/2012 to 12/2012	15870	15740	130	72%	3	671
1/2013 to 3/2013	15870	15740	130	80%	3	702
5/2013 to 6/2013	16350	16220	130	80%	2	468
7/2013 to 12/2013	16750	16220	530	90%	6	6042

कुल वसूली योग्य राशि ₹15,646

इसके अतिरिक्त दिनांक 1.4.2012 से पूर्व भुगतान किए गए वेतन की जाँच अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवायें।

15 नगर परिषद द्वारा पेंशन निधि खातों का रख-रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि का भुगतान हेतु पेंशन निधि के खाते का अलग से रख-रखाव नहीं किया गया है, कर्मचारियों को उनकी पेंशन इत्यादि का भुगतान नगर परिषद निधि से ही किया गया था जबकि नियमानुसार यह भुगतान पेंशन निधि खातों से किया जाना अपेक्षित था। इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 156, दिनांक 17.12.2014 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के साथ उठाया गया जिसके प्रति उत्तर में पत्र संख्या: 2316, दिनांक 24.1.2015 द्वारा सूचित किया कि कर्मचारियों की अधिक संख्या व धन अभाव के कारण यह राशि जमा नहीं करवाई जा रही है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 9(ख)(2) द्वारा भी इस प्रक्रिया पर नगर परिषद को परामर्श दिया गया था कि नियमानुसार पेंशन फण्ड का रख-रखाव, पेंशन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः मामला निदेशक, शहरी विकास के विशेष ध्यान में उचित दिशा निर्देश जारी करने हेतु लाया जाता है। अतः नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15.1 वाऊचर संख्या: 23, माह 11/2012 के अन्तर्गत नगर परिषद द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मंहगाई भते की किश्त दिनांक 1.7.2011 (51% से बढ़ा कर 58%) व दिनांक 1.1.2012 (58% से बढ़ा कर 65%) की बकाया राशियों का भुगतान किया गया। सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्न आपत्तियों को पाया गया :-

(क) कर्मचारियों को माह 3/2012 से 7/2012 तक मंहगाई भते का भुगतान (58% से 65%) के आधार पर किया गया जबकि पेंशन भुगतान रजिस्टर अनुसार कर्मचारियों को इस अवधि में पेंशन के साथ 51% की दर पर मंहगाई भते का भुगतान किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारियों को इस अवधि में 7% की दर पर कम भुगतान किया गया है। अतः जाँच उपरान्त वांछित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) नगर परिषद द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान सम्बन्धित कोई अलग अभिलेख/रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। इस विषय को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा

9(ख)(1) में भी उठाया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों को वर्ष 2012-13 व 2013-14 में भुगतान की गई पैन्शन से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करवाया गया परन्तु इस अभिलेख में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैन्शन भुगतान के अतिरिक्त किए गए अन्य भुगतान जैसे मंहगाई भते की बकाया राशि का भुगतान इत्यादि का कोई इन्द्राज नहीं किया गया जिसे अविलम्ब किया जाए व किसी प्रकार के दोहरे भुगतान को नकारते हुए व प्रत्येक इन्द्राज को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) पैन्शन भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि श्री गोरखू राम (सेवा निवृत्त बेलदार) को माह अगस्त, 2012 की पैन्शन की राशि ₹6095 का भुगतान वाऊचर संख्या: 10, माह 9/2012 के अन्तर्गत किया गया जबकि उन्हें माह मई, जून व जुलाई की कोई पैन्शन नहीं दी गई थी। वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री गोरखू राम की दिनांक 14.2.2012 को मृत्यु हो चुकी थी परन्तु उन्हें माह मार्च व अप्रैल की पैन्शन राशि ₹5,385 प्रति माह की दर पर भुगतान किया गया था। अतः श्री गोरखू राम को मृत्यु उपरान्त किए गए भुगतान राशि ₹16,795/- को उचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की उचित स्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

16 श्री के0सी0 ठाकुर (विधिक परामर्शदाता) को मानदेय की राशि ₹19,200/- का अनियमित भुगतान करना

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री के0सी0 ठाकुर (विधिक परामर्शदाता) को राशि ₹800 प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया गया। कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 169, दिनांक 22.12.2014 विधिक परामर्शदाता द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दिए गए परामर्श का मुकदमा वार विवरण मांगा गया था जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक 29.12.2014 के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान परामर्शदाता द्वारा किसी भी मुकदमे में परामर्श नहीं दिया गया था। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री के0सी0 ठाकुर को ₹800/- प्रतिमाह की दर से राशि ₹19,200/- का अनावश्यक भुगतान किया गया। अतः भुगतान की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 श्री ललित कुमार कार्यकारी अधिकारी को संशोधित वेतन मान की बकाया राशि की अन्तिम किश्त ₹0.38 लाख की पुष्टि न होना

वाऊचर संख्या: 35, माह 11/2012 के अन्तर्गत श्री ललित कुमार, कार्यकारी अधिकारी को संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की अन्तिम किश्त ₹37,707/- का भुगतान किया गया

तथा इस राशि को उनके भविष्य निधि खाते में जमा करवा दिया गया। जाँच में पाया गया कि इस राशि की गणना से सम्बन्धित कोई शीट/अभिलेख उक्त वाऊचर के साथ संलग्न नहीं पाया गया जिसके अभाव में भुगतान की गई राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। चर्चा के दौरान बताया गया कि श्री ललित कुमार, कार्यकारी अधिकारी उस अवधि के दौरान नगर परिषद नूरपुर में तैनात थे। अतः नगर परिषद नूरपुर द्वारा संशोधित वेतनमान की बकाया राशि के भुगतानों से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर की गई कार्रवाई व भुगतान को उचित ठहराया जाए।

18 किराये एवं दण्ड की राशि ₹54.14 लाख की वसूली न करने बारे

नगर परिषद द्वारा एक भवन जो कि नगर परिषद कार्यालय के साथ ही स्थित है, को दिनांक 7.3.2007 से श्री देविन्द्र सिंह सपुत्र श्री साहिब सिंह को ₹20,111/- के मासिक किराये पर दिया गया है पट्टे की एक मुश्त राशि ₹20,10,111/- धरोहर राशि के रूप में ली गई थी। समझौता पत्र की शर्त संख्या: 4 के अनुसार किराये की 50% राशि प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा करना अनिवार्य था एवं शेष 50% किराये की राशि का समायोजन धरोहर राशि से किया जाना था, अन्यथा ₹100/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड लगाने का प्रावधान था। शर्त संख्या: 2 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् किराये की राशि की 10% दर से बढ़ाई जानी तय थी।

किराये रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि किरायदार द्वारा नियमित रूप से उपरोक्त शर्तों के अनुसार किराये का भुगतान नहीं किया था। माह 7/2009 से 31.3.2014 तक नियमानुसार किराये की बढ़ौतरी के साथ राशि ₹5,98,860/- किराये के रूप में पट्टेधारी से प्राप्त करनी शेष थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

अवधि	किराये की बकाया राशि (₹)
7/2009 से 31.3.2010	91,058/-
1.4.2010 से 31.3.2011	1,20,666/-
1.4.2011 से 31.3.2012	1,21,672/-
1.4.2012 से 31.3.2013	1,32,732/-
1.4.2013 से 31.3.2014	1,32,732/-
कुल बकाया राशि	₹5,98,860/-

समझौते की शर्त संख्या: 4 के अनुसार नियमानुसार किराय अदा न करने पर ₹100/- प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड लगाया जाना आपेक्षित था। लेकिन नगर परिषद द्वारा पट्टेधारी को अनुचित लाभ प्रदान करते हुए न तो किरायेदार से किराया वसूला गया और न ही अर्धदण्ड जो

दिनांक 31.3.2014 तक राशि ₹48,15,600/- बनता है की वसूली हेतु कोई कदम उठाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

Month	Penalty period		Total days& Rate of penalty per day	Penalty @ ₹100 per day
	(From)	(To)	(₹100/-)	
Jul-2009	7-Aug-2009	31-Mar-2014	1697	1,69,700
Aug-2009	7-Sep-2014	31-Mar-2014	1666	1,66,600
Sep-2009	7-Oct-2009	31-Mar-2014	1636	1,63,600
Oct-2009	7-Nov-2009	31-Mar-2014	1605	1,60,500
Nov-2009	7-Dec-2009	31-Mar-2014	1575	1,57,500
Dec-2009	7-Jan-2010	31-Mar-2014	1544	1,54,400
Jan-2010	7-Feb-2010	31-Mar-2014	1513	1,51,300
Feb-2010	7-Mar-2010	31-Mar-2014	1485	1,48,500
Mar-2010	7-Apr-2010	31-Mar-2014	1454	1,45,400
Apr-2010	7-May-2010	31-Mar-2014	1424	1,42,400
May-2010	7-Jun-2010	31-Mar-2014	1393	1,39,300
Jun-2010	7-Jul-2010	31-Mar-2014	1363	1,36,300
Jul-2010	7-Aug-2010	31-Mar-2014	1332	1,33,200
Aug-2010	7-Sep-2010	31-Mar-2014	1301	1,30,100
Sep-2010	7-Oct-2010	31-Mar-2014	1271	1,27,100
Oct-2010	7-Nov-2010	31-Mar-2014	1240	1,24,000
Nov-2010	7-Dec-2010	31-Mar-2014	1210	1,21,000
Dec-2010	7-Jan-2011	31-Mar-2014	1179	1,17,900
Jan-2011	7-Feb-2011	31-Mar-2014	1148	1,14,800
Feb-2011	7-Mar-2011	31-Mar-2014	1120	1,12,000
Mar-2011	7-Apr-2011	31-Mar-2014	1089	1,08,900
Apr-2011	7-May-2011	31-Mar-2014	1059	1,05,900
May-2011	7-Jun-2011	31-Mar-2014	1028	1,02,800
Jun-2011	7-Jul-2011	31-Mar-2014	998	99,800
Jul-2011	7-Aug-2011	31-Mar-2014	967	96,700
Aug-2011	7-Sep-2011	31-Mar-2014	936	93,600
Sep-2011	7-Oct-2011	31-Mar-2014	906	90,600
Oct-2011	7-Nov-2011	31-Mar-2014	875	87,500

Nov-2011	7-Dec-2011	31-Mar-2014	845	84,500
Dec-2011	7-Jan-2012	31-Mar-2014	814	81,400
Jan-2012	7-Feb-2012	31-Mar-2014	783	78,300
Feb-2012	7-Mar-2012	31-Mar-2014	754	75,400
Mar-2012	7-Apr-2012	31-Mar-2014	723	72,300
Apr-2012	7-May-2012	31-Mar-2014	693	69,300
May-2012	7-Jun-2012	31-Mar-2014	662	66,200
Jun-2012	7-Jul-2012	31-Mar-2014	632	63,200
Jul-2012	7-Aug-2012	31-Mar-2014	601	60,100
Aug-2012	7-Sep-2012	31-Mar-2014	570	57,000
Sep-2012	7-Oct-2012	31-Mar-2014	540	54,000
Oct-2012	7-Nov-2012	31-Mar-2014	509	50,900
Nov-2012	7-Dec-2012	31-Mar-2014	479	47,900
Dec-2012	7-Jan-2013	31-Mar-2014	448	44,800
Jan-2013	7-Feb-2013	31-Mar-2014	417	41,700
Feb-2013	7-Mar-2013	31-Mar-2014	389	38,900
Mar-2013	7-Apr-2013	31-Mar-2014	358	35,800
Apr-2013	7-May-2013	31-Mar-2014	328	32,800
May-2013	7-Jun-2013	31-Mar-2014	297	29,700
Jun-2013	7-Jul-2013	31-Mar-2014	267	26,700
Jul-2013	7-Aug-2013	31-Mar-2014	236	23,600
Aug-2013	7-Sep-2013	31-Mar-2014	205	20,500
Sep-2013	7-Oct-2013	31-Mar-2014	175	17,500
Oct-2013	7-Nov-2013	31-Mar-2014	144	14,400
Nov-2013	7-Dec-2013	31-Mar-2014	114	14,400
Dec-2013	7-Jan-2014	31-Mar-2014	83	8300
Jan-2014	7-Feb-2014	31-Mar-2014	52	5,200
Feb-2014	7-Mar-2014	31-Mar-2014	24	2,400
Total				₹48,15,600

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि नगर परिषद द्वारा किरायेदार को अनुचित लाभ प्रदान करते हुए किराये एवं अर्थदण्ड की कुल राशि ₹54,14,640/- की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे जोकि एक गम्भीर अनियमितता है यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या:

292, दिनांक 20.2.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया गया था लेकिन इस सन्दर्भ में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा नगर परिषद प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब किराये व अर्थदण्ड की कुल राशि ₹54,14,460/- की वसूली हेतु उच्च स्तरीय प्रभावी कदम उठाए जायें एवं दिनांक 31.3.2014 के पश्चात् के किराये एवं अर्थदण्ड की गणना अपने स्तर पर करके वसूली उपरान्त की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

19 संविदाकार को ₹1.56 लाख का सम्भावित अधिक भुगतान

कार्य का नाम	C/o Parking cum shopping complex near Community Hall
अनुमानित राशि	₹1,01,26,436/-
आबंटित कार्य राशि	₹1,04,28,822/- Vide award letter no. 137-43, office of .M.C. Dharamshala, dated 12-4-2013 on 2.98% above HPSR-209
संविदाकार का नाम	Sh. Surinder Sharma
चलित बिल	प्रथम चलित बिल
वाक़ूचर संख्या	31, दिनांक 22.10.2013
माप पुस्तिका संख्या	50

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलित बिल की जाँच के दौरान निम्न आपत्तियाँ पाई गई जिनको अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 216, दिनांक 29.1.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या: MCD/2015/2410, दिनांक 19.2.2015 द्वारा अंकेक्षण आपत्तियों बारे स्पष्टीकरण दिया लेकिन जाँच में स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः निम्नलिखित आपत्तियों पर शीघ्र उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के निर्माण हेतु टैण्डर दिनांक 28.9.2011 को आमन्त्रित किए गए थे तथा कार्य का आबंटन पत्र संख्या: 137-43 द्वारा दिनांक 12.4.2013 को किया गया था जबकि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य दिनांक 5.5.2012 को आरम्भ कर दिया गया था जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका 50 के पृष्ठ-67 में की गई है। अतः कार्य आबंटन से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने बारे नियमानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

19.1 संविदाकार को ₹1.10 लाख का अनुचित भुगतान

प्रथम चलित बिल की जाँच में पाया कि निम्नलिखित मदों में गणना की गलती के कारण राशि ₹1,10,886/- का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें :-

(i)

Abstract	Quantity Taken	Actual Quantity	Rate	Excess Payment	M.B
Providing For steel	50388.56 kg	50191.46 kg	58/p.kg	11432	MB 50 page 76
Detail of measurement is as under:					
Record Entry	Quantity Taken	Actual Quantity	Excess Quantity	Reference	
20 mm tor steel	2776 Rmt	2762.5 Rmt	13.5x2.47=33.34 kg	MB 50 page 74	
25 mm tor steel	5382.82 Rmt	5370.61 Rmt	12.21x3.85=47 kg	MB 50 page 74	
32 mm tor steel	1155.89 Rmt	1137.41Rmt	18.48x6.31=116.60 kg	MB 50 page 74	

(ii) **Providing Form work with steel plates**

Abstract	Quantity Taken	Rate Devided & Paid	Rate to be paid	Excess Payment	M.B
(a) foundation & footing (Extra item)	35.24 m ²	331.25/- s.i. 2009 0801010000	132/- p.m ² s.i. 2009 0805010000	7021.57	MB 50 Page 89
Abstract	Quantity taken	Actual Quantity	Rate	Excess payment	
(b) in Column, pillar, post	329.97 m ²	323.16 m ²	180/- p-m ²	1225.80	
Detail of measurement is as under:					
Record Entry	Quantity Taken	Actual Quantity	Excess Quantity	Reference	
E4 F4 2x22/7x(.60) ² x3	13.59 M ²	6.78 M ²	6.81 M ²	MB 50 Page 78	
Abstract	Quantity taken	Actual Quantity	Rate	Excess payment	
(c) in beam cantilevers etc	722.41 m ²	719.98 m ²	190/-P.m ²	461.70	
Detail of measurement is as under:					
Record Entry	Quantity Taken	Actual Quantity	Excess Quantity	Reference	
Roof beam 16 to 18 1x4.80x.50	4.83 m ²	2.40 M ²	2.43 M ²	MB 50 Page 80	

Abstract	Quantity Taken	Rate Derived & Paid	Rate to be paid	Excess Payment	M.B
(e) In vertical surface (Extra item)	230.52 m ²	393.95/- p.m ² s.i. 2009 0801030000	158.85/- p.m ² s.i. 2009 0805030000	54195/-	MB 50 Page 84

(iii)

Abstract	Quantity Taken	Actual Quantity	Rate	Excess Payment
P/L CC 1:2:4 (b) In Column Pillar	54.53 m ³	47.74 m ³	3300/- P.M ³	22407/-

Detail of measurement is as under:

Record Entry	Quantity Taken	Actual Quantity	Excess Quantity	Reference
E4,F4 2x22/7x(0.6) ² x3	13.57 m ³	6.78 M ³	6.79 M ³	MB 50 Page 84

(iv)

Abstract	Quantity Taken	Actual Quantity	Rate	Excess Payment
Extra Providing for glass strips	971.60 Rmtr	957.74 Rmtr	47.25/- P. Rmt	655/-

Detail of measurement is as under:

Record Entry	Quantity Taken	Actual Quantity	Excess Quantity	Reference
Shop No. 15,16,17, 3x3x2.34	35.10 Rmtr	21.06 Rmtr	14.04 Rmtr	MB 50 Page 84

(v)

Abstract	Quantity Taken	Actual Quantity	Rate	Excess Payment
40mm thick cement flooring	477.44 m ³	464.44 m ³	182.70/-P m ³	2375/-

Detail of measurement is as under:

Record Entry	Quantity Taken	Actual Quantity	Excess Quantity	Reference
Shop No. 11 1x6.50x2.40	28.60 m ³	15.60 m ³	13 m ³	MB 50 Page 85

(vi)

Abstract	Quantity Taken	Actual Quantity	Rate	Excess Payment
2 nd class brick work 1:6	137.48 m ³	133.81 m ³	3000/-P m ³	11010/-

Detail of measurement is as under:

Record Entry	Quantity Taken	Actual Quantity	Excess Quantity	Reference
Paved courtyard 6.5x.23+.30x1.13	5.62 m ³	1.95 m ³	3.67 m ³	MB 50 Page 86

(vii)

Abstract	Quantity Taken	Actual Quantity	Rate	Excess Payment
15mm cement plaster	1661.58 m ²	1660.50 m ²	95/-P m ²	103/-
Detail of measurement is as under:				
Record Entry	Quantity Taken	Actual Quantity	Excess Quantity	Reference
Left side store back side 2x9.02x3	55.20 m ²	54.12 m ²	1.08 m ²	MB 50 Page 86

19.2 अतिरिक्त मदों (Extra items) की दरें नियमानुसार निर्धारित करने के फलस्वरूप ₹0.46 लाख का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की क्लॉज-12 के अनुसार अतिरिक्त मदों की दरें टैण्डर में similar Chapter की मदों की दरों के अनुसार निर्धारित करना आपेक्षित थी। जाँच में पाया कि निम्नलिखित अतिरिक्त मदों की दरों का निर्धारण व भुगतान Schedule Rate-2009 पर किया गया था जबकि टैण्डर में Same chapter की मद “P/L 1:2:4, Coulmn Pillar Schedule item No. 09310400” उपलब्ध थी जिसका Schedule Rate ₹3540.75 per m³ तथा संविदाकार द्वारा भरी गई दर ₹3350/- Per m³ थी। जो कि 5.38% below थी इस प्रकार संविदाकार को निम्नलिखित मदों की दरें नियम के अनुसार निर्धारित न करके ₹46,166/- का अधिक भुगतान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है :-

Items (Extra Items)	Quantity	Rate paid (Schedule Rate 2009)	Rate to be paid (5.38% below)	Excess Pament
P/L 1:4:8 40MM S.I. No. 09130100	73.71 m ³	2293.10 (Per m ³)	2169.56 per m ³	9106/-
P/L 1:5:8 40MM S.I. No. 09510000	344.90 m ³	1994.35 per m ³	1886.90 per m ³	37060/-

अधिक भुगतान ₹46,166/-

19.3 जाँच में पाया कि माप पुस्तिका में की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियां सहायक अभियन्ता द्वारा Test Check नहीं की गई थी जिसके अभाव में निर्माण कार्य में प्रयोग की गई सामग्री एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव संख्या 399, दिनांक 16.3.2013 में स्पष्ट किया गया था कि उपरोक्त निर्माण कार्य संविदाकार द्वारा आबंटन पत्र जारी करने से पूर्व अपनी इच्छा से शुरू कर दिया था जिससे यह स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा कार्य बिना किसी निरीक्षण के किया गया था एवं निर्माण कार्य मान दण्ड के अनुरूप न होने की बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः नियमों के अनुसार Test Check न करने बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए एवं वांछित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

19.4 संविदाकार द्वारा उपयोग सरिये की राशि की कम वसूली करने बारे

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलित बिल तक संविदाकार को 50389 कि०ग्रा० स्टील के लिए ₹58/- प्रति कि०ग्रा० की दर से ₹29,22,536/- का भुगतान किया गया जबकि प्रथम चलित बिल से 11000 कि०ग्रा० स्टील की वसूली ₹35/- प्रति कि०ग्रा० की दर राशि ₹3,85,000/- के लिए की गई थी प्रस्तुत किए गए अभिलेख में संविदाकार को जारी स्टील की मात्रा 39389 कि०ग्रा० से सम्बन्धित ईण्डेन्ट उपलब्ध नहीं थे। अतः यह स्पष्ट करें कि क्या इस स्टील की मात्रा को विभाग द्वारा जारी किया गया था या संविदाकार द्वारा इस मात्रा को अपने स्तर पर क़य किया गया था। यदि स्टील की इस मात्रा को विभाग द्वारा जारी किया गया हो तो सम्बन्धित ईण्डेन्टों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करते हुए देय राशि की वसूली करें। अन्यथा संविदाकार द्वारा अपने स्तर पर क़य की गई स्टील की मात्रा से सम्बन्धित बिलों को प्रस्तुत करें।

19.5 टैण्डर आमन्त्रित करने से पूर्व ही उपरोक्त कार्य के लिए स्टील जारी करने बारे

जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य के निर्माण हेतु टैण्डर दिनांक 28.9.2011 को आमन्त्रित किए गए थे जबकि संविदाकार को स्टील की 11000 कि०ग्रा० मात्रा इण्डेन्ट संख्या: 39/53 द्वारा दिनांक 3.5.2011 को अर्थात् टैण्डर आमन्त्रित करने से 4 माह पूर्व ही जारी कर दी गई थी जिससे स्पष्ट है कि कार्य का आबंटन संविदाकार को किया जाना पूर्व नियोजित तथा टैण्डर आमन्त्रित करना एक मात्र दिखावा था। अतः नियमों को ताक में रखकर उपरोक्त कार्य का आबंटन करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपरोक्त कार्यवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित करके टैण्डर प्रक्रिया पर नगर परिषद द्वारा खर्च की गई कुल राशि की वसूली करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

19.6 जाँच में पाया कि संविदाकार को उपरोक्त कार्य के प्रथम बिल के भुगतान के दौरान प्रयोग किए गए सीमेन्ट के मूल्य की वसूली नहीं की गई थी तथा बिल/माप पुस्तिका में संविदाकार द्वारा कार्य में प्रयोग सीमेन्ट का स्त्रौत भी नहीं दर्शाया गया था। अतः कार्य में प्रयोग किए गए सीमेन्ट प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख एवं सीमेन्ट उपयोग विवरणी (Cement Consumption Statement) आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके एवं यदि सीमेन्ट नगर परिषद द्वारा जारी किया गया था तो इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

19.7 प्रथम चलित बिल से ₹3,66,464/- की वसूली धरोहर राशि के रूप में की गई थी लेकिन इसकी प्रविष्टि धरोहर राशि के रजिस्टर में नहीं की गई। अतः इसकी प्रविष्टि धरोहर राशि के रजिस्टर में करने के साथ-साथ अन्य समस्त कार्य बिलों से वसूली गई धरोहर राशि की प्रविष्टियां धरोहर राशि के रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

20 संविदाकार को ₹6,976 का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	C/o parking near Community Hall
अनुमानित राशि	₹17,08,899/-
आबंटित कार्य राशि	₹36,87,313/- vide award letter No. 504-505 office of M.C. Dharamshala, dated 21-7-2010 on 115.77% above HPSR-1999
संविदाकार का नाम	M/s Surinder Trader
माप पुस्तिका	63, 49, 50

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलित बिल की जाँच में पाया कि मद “Providing tor steel” के निष्पादन में ₹6,976/- का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकोण को अवगत करवायें अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है :-

Abstract	Quantity Taken	Actual Quantity	Rate	Excess Payment	M.B
Providing tor steel	72138.56 Kg	72001.78 Kg	51/- per kg	6976	MB-63 Page-43

Tor Steel की अधिक ली गई मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(i)

Abstract	Quantity	Factor taken	Actual factor	Excess Quantity	M.B reference
8mm tor steel	4286.50 Rmts	0.395 Kg per Rmts	0.39 Kg per Rmts	21.43 kg	MB-50 Page-74
8mm tor steel	8904 Rmts	0.395 Kg per Rmts	0.39 Kg per Rmts	44.52 Kg	MB-49 Page-61

(ii)

Abstract	Quantity Taken	Actual Quantity	Excess quantity	M.B reference
Bottom spacer 25 mm 2x7x0.25	14 Rmts	3.5 Rmts	10.5Rmts x 3.85 =40.43 kg	MB-63 Page- 39
25mm tor steel	19616.83 kg	19586.42 kg	30.41 kg	MB-49 Page-61

20.1 अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त कार्य में प्रयोग स्टील एवं सीमेन्ट जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे एवं न ही इसकी वसूली कार्य के चलित बिलों में संविदाकार से की गई थी। अतः स्टील एवं सीमेन्ट जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख एवं इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

20.2 जाँच में पाया कि द्वितीय चलित बिल तक ₹79,88,177/- का भुगतान संविदाकार को कर दिया गया था अर्थात् 117 प्रतिशत का विचलन (Deviation) द्वितीय चलित बिल तक पाया गया जिसके लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी जो कि एक गम्भीर आपत्ति है। अतः उपरोक्त कार्य का संशोधित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

20.3 उपरोक्त कार्य के निष्पादन में करवाई गई अतिरिक्त मदों की दरों को निर्धारित करने से सम्बन्धित Analysis अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः आगामी अंकेक्षण में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अनियमितताओं की सूचना अंकेक्षण के दौरान उचित कार्यवाही हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 274, दिनांक 9.2.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी गई थी लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः वांछित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

21 कार्य का नाम C/o Multi level Parking Complex for Municipal Council Opposite hotel Sahiwa Mcleodganj, Upper Dharamshala

आबंटन पत्र संख्या	Award letter No. 1013-19, dated 12-6-2008 on 40.34% above HPSR-1999 ₹2,77,88,367/-
-------------------	--

संविदाकार का नाम	श्री संजय सोनी
------------------	----------------

माप पुस्तिका	65, 59
--------------	--------

वारुचर संख्या:	19 of July, 2013
----------------	------------------

वारुचर संख्या: 19, माह जुलाई, 2013 की जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य के 6 चलित बिल तक ₹8,41,756/- का भुगतान संविदाकार को अनुबन्ध की क्लॉज 10 सीसी के अनुसार किया गया था लेकिन जाँच के दौरान भुगतान में अनियमितताएं पाई गई जिनकी सूचना अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 281, दिनांक 11.2.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी गई थी जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या: MCD/2015/2409, दिनांक 19.2.2015 द्वारा अंकेक्षण को अनियमितताओं का

स्पष्टीकरण दिया गया लेकिन जाँच में सही नहीं पाया गया। अतः निम्नलिखित अनियमितताओं को नियमों के अनुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

21.1 अनुबन्ध की क्लॉज 10—सी0सी0 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की गणना करने सम्बन्धित

जाँच में पाया कि अनुबन्ध की क्लॉज 10—सी0सी0 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की गणना उपरोक्त कार्य के विभिन्न पारित बिलों के भुगतान की अवधि के आधार पर Quarter मानकर की गई थी जबकि नियमानुसार क्षतिपूर्ति की गणना चलित बिलों में वर्णित विभिन्न मदों के निष्पादन (Execution) की अवधि के अनुसार की जानी आपेक्षित थी। उदाहरण स्वरूप प्रथम चलित बिल की प्रविष्टि माप पुस्तिका 59 के पृष्ठ-7 में दिनांक 7.7.2009 को की गई थी अतः क्षतिपूर्ति के लिए Quarter भी माह 7/2009 से लिया जाना अपेक्षित था जबकि प्रथम चलित बिल की क्लॉज 10—सी0सी0 के अनुसार क्षतिपूर्ति की गणना माह 12/2009 से 2/2010 के Quarter के अनुसार करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः इसी प्रकार उपरोक्त कार्य के अन्य चलित बिलों की क्षतिपूर्ति की गणना नियमों के अनुसार करके एवं अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

21.2 अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अनुसार कार्यवाही न करना

जाँच में पाया कि उपरोक्त कार्य के निर्माण हेतु स्थान का चयन करके 12/2008 को संविदाकार के सपुर्द कर दिया गया था। कार्य पूर्ण करने के लिए माह 6/2011 तक का समय प्रदान किया गया था लेकिन संविदाकार द्वारा समझौते की शर्तों के अनुसार समय पर कार्य का समापन नहीं किया गया था तथा दिनांक 31.3.2014 को कार्य प्रगति (Work in Progress) पर दर्शाया गया था। अतः अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अनुसार कार्यवाही की जानी आपेक्षित थी। अनुबन्ध की क्लॉज-2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार यदि संविदाकार आबंटित समय में कार्य को पूर्ण नहीं करता है तो आबंटित राशि का 10 प्रतिशत भाग के बराबर क्षतिपूर्ति के रूप में दण्ड लगाया जाना आपेक्षित था। अतः अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अनुसार कार्यवाही न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

22 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संविदाकार को राशि ₹5.64 लाख का भुगतान करना

वाऊचर संख्या: 8, माह 3/2013 (डिपॉजिट वर्क) के द्वारा श्री सुरजीत सिंह, ठेकेदार को वार्ड नम्बर 8 हाऊसिंग बोर्ड कलौनी के समीप नाले के चैनलाईज़ेशन कार्य से वसूल की गई धरोहर राशि ₹17,789/- का भुगतान किया गया। इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएं पाई गई :-

(1) यह कार्य आबंटन पत्र संख्या 989, दिनांक 11.4.2008 द्वारा कुल राशि ₹9,14,926/- के लिए आबन्तित किया गया परन्तु कुल कार्य ₹15,71,169/- का निष्पादित किया गया। माप पुस्तिका संख्या 43 के पृष्ठ 80 पर निगम अभियन्ता द्वारा टिप्पणी की गई कि **(Work has been done more than 10% of sanctioned estimate that you are entirely responsible of excess executed work)**

उपरोक्त प्रमाण पत्र स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना आबन्तित कार्य से अधिक कार्य निष्पादित किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः स्पष्ट किया जाए कि किन नियमों के अन्तर्गत ठेकेदार को सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किए गए कार्य का भुगतान किया गया।

23 वेट की राशि ₹10,050 का अधिक भुगतान

वाऊचर संख्या 14, माह 11/2012 के अन्तर्गत मै0 जतिन्द्र हार्डवेयर स्टोर को राशि ₹81,235/- का भुगतान, प्रधान नगर परिषद के कार्यालय के पुनः निर्माण हेतु प्लाईबोर्ड, फैंविकोल व कीलों इत्यादि की खरीद के लिए किया गया।

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि परिषद द्वारा प्राप्त निविदाओं में दी गई दरों पर अलग से अतिरिक्त बिक्री कर लेने की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी अर्थात् निविदाओं की दरें बिक्री कर सहित दी गई थी। परन्तु मै0 जतिन्द्र हार्डवेयर स्टोर के बिल में, बिल संख्या 441, दिनांक शून्य द्वारा आपूर्ति किए गए सामान के मूल्य ₹73,097/- पर 13.75 प्रतिशत की दर से राशि ₹10,050/- का भुगतान वेट कर के रूप में किया जबकि नियमानुसार यह देय नहीं था क्योंकि निविदाओं में मै0 जतिन्द्र हार्डवेयर स्टोर द्वारा दरे सभी करों सहित दी थी। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹10,050/- की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त परिषद निधि में जमा करना सुनिश्चित करें। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

23.1 वाऊचर संख्या 15, माह 11/2012, राशि 97,661

उक्त वाऊचर के द्वारा ₹97,661/- का भुगतान, मै0 इन्द्र सैनी ओबराय एण्ड सन्स को प्रधान नगर परिषद के कमरे में लकड़ी की पैन्लिंग करने हेतु बिल संख्या: 25, दिनांक शून्य द्वारा 1.96 घन मीटर कैल की लकड़ी ₹51,000/- प्रति घन मीटर की दर से किया गया इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :-

(1) निविदा आमन्त्रित पत्र में न तो कोई प्रेषण नम्बर और न ही तिथि दर्शाई गई थी आश्चर्यजनक रूप में कार्य हेतु तीन निविदाएं प्राप्त हुई। एक मै0 बाज ओबराय एण्ड एसोसिएट,

दूसरी में 0 इन्द्रसैन ओबराय एण्ड सन्स, तीसरी राज कुमार एण्ड सन्स, यह तीनों निविदाएं बिना तिथि के थी, इन निविदाओं पर दूरभाष नम्बर एक ही अंकित थे जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी निविदाएं एक ही निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

अतः परिषद द्वारा उक्त प्रक्रिया को नियमों के अनुसार अमल में न लाने के कारण फर्म को अधिक भुगतान की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस लिए अपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के कारणों को स्पष्ट करें। अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

24	वाऊचर संख्या:	1 माह 11/2012 (डिपोजिट फण्ड)
	कार्य का नाम	नगर परिषद कार्यालय के समीप पार्किंग का निर्माण
	ठेकेदार का नाम	श्री सुरिन्द्र सिंह बैन्स
	बिल संख्या	चौथा व अन्तिम बिल
	कार्य आबंटन पत्र संख्या	496-97, दिनांक 12.7.2010, राशि ₹18,93,710 (28.90% उपर मानक दर 1999)

कार्य को समय पर पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार से दण्ड स्वरूप राशि ₹1.89 लाख की वसूली न करना

आबन्टन पत्र की शर्त संख्या: 4 के अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु 6 माह का समय दिया गया जो आबन्टन पत्र जारी करने के 15 दिन बाद शुरू होगा। कार्य अनुबन्ध की क्लॉज-2 में समय पर कार्य पूर्ण न होने पर ठेकेदार से कार्य की शेष राशि का एक प्रतिशत प्रतिदिन अथवा टैण्डर राशि का 10 प्रतिशत अधिकतम दण्ड स्वरूप वसूल किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार आबन्टन पत्र की उपर वर्णित शर्त अनुसार ठेकेदार से कार्य दिनांक 27.1.2011 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था अन्यथा देरी के कारण ₹18,937/- प्रतिदिन अधिकतम ₹1,89,371/- दण्ड स्वरूप वसूल किए जाने अपेक्षित थे अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा यह कार्य, कार्य पूर्ण करने हेतु दी गई अवधि 27.1.2011 के निर्धारित अवधि के 1½ वर्ष बाद माह 7/2012 में पूर्ण किया गया ठेकेदार द्वारा अपने पहले प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य में 31.12.2011 तक तथा दूसरे पत्र 11.4.2011 में दिनांक 30.9.2012 तक कार्य पूर्ण करने हेतु आबन्टित समय में बढौतरी की मांग की गई जिसमें वर्षा व प्रशिक्षित मज़दूरों का न मिलना कारण दर्शाया गया। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 182, दिनांक 1.1.2015 के उतर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि यह भूमि वन विभाग के कब्जे में थी जिसको खाली कराने में बहुत समय लगा। अतः ठेकेदार को दो वर्ष बढौतरी प्रदान की गई, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उतर उपलब्ध अभिलेख के

अनुसार उचित नहीं पाया गया। अतः कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित समय में बढौतरी को प्रस्तुत कारणों के आधार पर उचित ठहराया जाए अन्यथा कार्य अनुबन्ध की धारा-2 के अनुसार देरी से पूर्ण किए गए कार्य के लिए देय दण्ड राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें।

24.1 यह कार्य दिनांक 12.7.2010 के राशि ₹18,93,710 के लिए आबन्तित किया गया जबकि कार्य की तकनीकी स्वीकृति लगभग 2 वर्ष पश्चात् दिनांक 30.5.2012 को निदेशक, शहरी निकाए के पत्र संख्या यू0डी0-एच(एफ)धर्मशाला-ईन्जीनियरिंग सैल-3166, दिनांक 30.5.2012 द्वारा राशि ₹18,54,419/- हेतु प्राप्त हुई। बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य आबन्तन को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

24.2 इस कार्य हेतु निदेशक, शहरी निकाए ने अपने पत्र दिनांक 3.4.2007 द्वारा नगर परिषद को RGURF योजना के अन्तर्गत 30 लाख व्यय करने की अनुमति प्रदान की तथा राशि को वर्ष 2007-08 में व्यय करने के निर्देश दिए गए। नगर परिषद द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या: 166, दिनांक 19.3.2007 में कार्य पर केवल ₹14 लाख व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई थी निदेशक, शहरी निकाए के आदेशों कि कार्य पर व्यय वर्ष 2007-08 में होना चाहिए, कार्य आबन्तित ही 3 वर्ष बाद वर्ष 2010-11 में किया गया व 5 वर्ष बाद वर्ष 2012-13 में पूर्ण किया गया। नगर परिषद द्वारा कार्य हेतु ₹14 लाख का व्यय निर्धारित किया गया जबकि कुल व्यय ₹19 लाख किया गया आदेशों की अनुपालना में राशि व्यय न करने का करण स्पष्ट किया जाए व सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त व की गई कार्यवाही व व्यय को नियमित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

24.3 अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इस कार्य के अन्तिम बिल के भुगतान करने के पूर्व कार्य विचलन की राशि को समक्ष अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाया गया है जबकि यह नियमानुसार अत्यन्त आवश्यक है अतः कारण स्पष्ट करते हुए निम्न विवरणानुसार कार्य विचलन की मात्रा को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र० सं०	मद संख्या	मद का संक्षिप्त विवरण	डी0एन0आई0टी0 के अनुसार मात्रा	निष्पादित मात्रा
1)	1	कटिंग इन अर्थ वर्क	455.75 घन मी०	1749.95 घन मी०
2)	2	ऐक्सावेशन ईन अर्थ वर्क	157.98 घन मी०	76.80 घन मी०
3)	3	सीमेन्ट कंकरीट 1:4:8	31.87 घन मी०	29.99 घन मी०
4)	4	आर0आर0 मैशनरी	22.70 घन मी०	29.73 घन मी०
5)	6	पी०/एल० टोर स्टील	15334.15 किलो	13229.70 किलो

6)	5	सीमेन्ट कंकरीट 1:2:4	173.64 घन मी0	186.73 घन मी0
7)	8	पी0/एल0 स्टोन सौलिंग	90.49 घन मी0	34.11 घन मी0
8)	7	पी0/एफ फॉर्म वर्क	792.44 वर्ग मी0	834.48 वर्ग मी0
9)	9	सीमेन्ट कंकरीट 1:2:4 ईन पेवमेंट रोड	341.18 घन मी0	—
10)	10	प्लास्टर वर्क	566.84 वर्ग मी0	508.76 वर्ग मी0
11)	11	वाईट वाशिंग	566.84 वर्ग मी0	—

25 परिषद कार्यालय के समीप निर्मित पार्किंग पर राशि 19.06 लाख का निष्फल व्यय

परिषद द्वारा कार्यालय के समीप एक पार्किंग का निर्माण करवाया गया। इस पार्किंग के निर्माण कार्य पर ₹19,06,281/— व्यय किए गए अंकेक्षण अध्याचना संख्या 182, दिनांक के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि पार्किंग में 20 गाडियों को पार्क करने का प्रावधान है तथा 7/12 से अंकेक्षण अवधि के दौरान इस पार्किंग से परिषद को कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अतः पार्किंग के निर्माण पर परिषद द्वारा राशि ₹19,06,281/— का निष्फल व्यय किया गया। अतः परिषद को सुझाव दिया जाता है कि पार्किंग को आऊटसोर्स या अन्य माध्यमों से सुचारु रूप से उपयोग में लाया जाए ताकि परिषद की आय में अपेक्षित वृद्धि हो सके।

26

वाऊचर संख्या:	32, माह 11/2012 (म्यूनिसिपल फण्ड)
	12 व माह 11/2012 (डिपोजिट फण्ड)
कार्य का नाम	वार्ड नं0 2 फर्सथेडगन्ज अप्पर धर्मशाला (अग्रवाल गृह के समीप नाले की चैनलाईजेशन का कार्य)
बिल संख्या	दूसरा व अन्तिम बिल राशि ₹9,98,158/—
ठेकेदार का नाम	श्री विकास सूद
माप पुस्तिका संख्या	38, पृष्ठ—56
कार्य आबन्तन पत्र संख्या	989—90, दिनांक 3.7.2012 कुल राशि ₹4,60,000/— (13.85 प्रतिशत एच0पी0एस0आर0 2009 की दरों से कम)

अतिरिक्त मद के रूप में कुल राशि ₹15,178 का अधिक भुगतान

बिल की मद संख्या: 3 द्वारा अतिरिक्त मद सीमेन्ट कंकरीट 1:2:4 की कार्य मात्रा 12.55 घन मीटर का भुगतान ₹2784/—प्रति घन मीटर की दर से संविदाकार को राशि ₹34,939/—

के लिए किया गया। इस दर का निर्धारण हिमाचल प्रदेश मानक दर 2009 की दर (₹3231.20 प्रति घन मीटर) पर ठेकेदार का कुल प्रीमियम (13.85 प्रतिशत) के आधार पर किया गया जबकि नियमानुसार दर का निर्धारण ठेकेदार द्वारा डी0एन0आई0टी0 में सामान श्रेणी के कार्य हेतु दी गई दर के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। ठेकेदार द्वारा डी0एन0आई0टी0 की मद संख्या: 2 सीमेन्ट कंकरीट 1:6:12 हेतु ₹10 प्रति घन मीटर तथा सीमेन्ट कंकरीट 1:3:6 हेतु ₹2600 प्रति घन मीटर की दर पर अपनी दरें दी गई, जो एच0पी0एस0आर0 2009 की दरों से क्रमशः 99.48 प्रतिशत तथा 3.06 प्रतिशत कम थी। इस प्रकार नियमानुसार ठेकेदार को निष्पादित करवाई गई अतिरिक्त मद सी0सी0 1:2:4 की दर का निर्धारण एच0पी0एस0आर0 2009 की दर तथा समान मदों के प्रीमियम का औसत $(99.48 \text{ प्रतिशत} + 3.06 \div 2 = 51.27 \text{ प्रतिशत}) - 51.27 \text{ प्रतिशत}$ के अनुसार निम्न प्रकार किया जाना अपेक्षित था। सी0सी0 1:2:4 की मानक दर ₹3231 (+) समान मदों का प्रीमियम $(-51.27 \text{ प्रतिशत}) = (-) 1656.60 - ₹1574.60$ प्रति घन मीटर जबकि संविदाकर को दर ₹2784 प्रति मीटर की दर से भुगतान किया गया इस प्रकार ठेकेदार को राशि ₹1209 ₹60 पै0 प्रतिघन मीटर की दर से राशि ₹15,178 का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्रोत से वूसली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

26.1 ठेकेदार को ₹34,813 का अनुचित लाभ

ठेकेदार द्वारा डी0एन0आई0टी0 की मद संख्या: 2 (सीमेन्ट कंक्रीट 1:6:12) हेतु ₹10 प्रति घन मी0 की दर उदघृत की गई थी। जाँच में पाया गया कि परिषद प्रशासन द्वारा इस मद को निष्पादित ही नहीं करवाया गया तथा इसकी जगह अतिरिक्त मद के रूप में 1:2:4 की सीमेन्ट कंक्रीट 12.55 घन मीटर की मात्रा का निष्पादन ₹2,784 प्रति घन मीटर की दर राशि ₹34,939 का भुगतान किया गया जबकि डी0एन0आई0टी0 की मदों के अनुसार कार्य करवाया जाता तो 12.55 घन मीटर हेतु केवल ₹126 का भुगतान करना पड़ता इस प्रकार डी0एन0आई0टी0 की मदों के अनुसार कार्य न करवा कर ठेकेदार को राशि ₹34,813/- का अनुचित लाभ पहुंचाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः कार्य मद सीमेन्ट कंक्रीट 1:6:12 को Subsitute करने के कारणों को स्पष्ट करें अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि ₹34,813/- $(34939 - 126)$ की वसूली उचित स्रोत से करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26.2 कार्य में प्रयोग किए गए सीमेन्ट से सम्बन्धित कोई बिल/प्रमाण प्रस्तुत अभिलेख में उपलब्ध नहीं पाया गया जिसके अभाव में कार्य की गुणवत्ता व निष्पादित मदों को उचित नहीं

ठहराया जा सका। सीमेन्ट बिल साथ संलग्न न करने का कारण स्पष्ट किया जाए। अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

27 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत राशि ₹0.90 लाख का अनियमित व्यय

वाऊचर संख्या: 184, माह 3/2013 राशि ₹2,00,000 इस वाऊचर द्वारा मै0 कैटस् ईन्सटीच्यूट, धर्मशाला को स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 42 प्रशिक्षणार्थियों को 2 घण्टा प्रति दिन 6 मास के लिए प्रशिक्षण देने पर ₹9000 प्रति छात्र की दर पर राशि ₹2,00,000 लाख प्रथम किश्त का भुगतान किया गया। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत केवल बी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्धित व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिया जा सकता था परन्तु निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थी बी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्धित नहीं थे। अतः इन के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय अनियमित व्यय है जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा राशि ₹0.90 लाख की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करने के उपरान्त राशि को सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता का नाम	वार्ड संख्या
1)	कुमारी मनीशा	श्री रमेश कुमार	2
2)	कुमारी आरती	श्री सन्त बहादुर	2
3)	कुमारी ममता	श्री दिल बहादुर	2
4)	कुमारी नेहा वर्मा	श्री रोशन	7
5)	कुमारी ज्योती	श्री राजेश	3
6)	श्री राकेश चौधरी	अभिलेख में नाम दिया नहीं गया	11
7)	कुमारी सीता	श्री राजीव	11
8)	स्नेह लता	श्री प्रकाश चन्द	10
9)	कनिका	अभिलेख में नाम दिया नहीं गया	11
10)	सुनिता शर्मा	श्री कौशल दत्त शर्मा	11

27.1 राशि ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान

मै0 कैटस् ईन्सटीच्यूट द्वारा दिनांक 11.3.2013 को 43 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण हेतु ₹9000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से राशि ₹3,87,000/- का बिल नगर परिषद को प्रेषित किया गया। इस बिल का भुगतान परिषद द्वारा निम्नप्रकार किया गया :-

माह 3/2013 प्रथम किश्त	₹2,00,000 /—
माह 5/2013 दूसरी किश्त	₹1,50,000 /—
माह 6/2013 तीसरी किश्त	₹37,000 /—
	<u>₹3,87,000 /—</u>

नगर परिषद अभिलेख के अनुसार केवल 42 प्रशिक्षणार्थियों हेतु राशि ₹3,78,000 /— भुगतान हेतु देय थी। जबकि देय राशि के विरुद्ध राशि ₹3,87,000 /— का भुगतान किया गया। अतः राशि ₹9000 /— का अधिक भुगतान किया गया।

28

वारुचर संख्या:	19, माह 3/2013
कार्य का नाम	नगर परिषद कार्यालय में विद्युत सामान की आपूर्ति व फिटिंग करना
ठेकेदार का नाम	मै0 अनिल इलैक्ट्रीकल वर्क
कार्य आबन्तन पत्र संख्या	1713, दिनांक 17.12.2012 राशि ₹60,000 /—
माप पुस्तिका संख्या:	68, पृष्ठ 8 से 11 तक

(1) उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दरों पर 25% की छूट प्रदान की थी परन्तु कार्य आबन्तित करते समय इस छूट को नजर अन्दाज करके ठेकेदार को यह कार्य ₹60,000 /— में आबन्तित किया गया। जबकि यह कार्य 25% की छूट को ध्यान में रख कर राशि ₹45,000 /— के लिए आबन्तित किया जाना अपेक्षित था अतः संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों पर दी गई छूट का लेखांकन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(II)(क) इस कार्य की मद संख्या: 1(बी) Wiring for circute with 2x4 sqmm copper inoutlated cable 135.50 रनिंग मीटर हेतु ₹125 /— प्रति मीटर की दर पर राशि ₹16,937 /— का भुगतान किया गया जबकि यह मात्रा केवल 125.50 रनिंग मीटर बनती थी इस प्रकार 10 मीटर हेतु राशि ₹1250 का अधिक भुगतान कर दिया गया।

(ख) मद संख्या: 10 के अन्तर्गत पी/एफ रैगुलेटर 05, 2 नम्बर दर 230 प्रति एक कुल ₹460 /— की जगह राशि ₹660 का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार गणना की चूक के कारण राशि ₹200 का अधिक भुगतान किया गया। अतः राशि ₹1450 (₹1250 + ₹200) की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 अतिरिक्त मद का उच्च दरों पर भुगतान करने के कारण राशि ₹4011 का अधिक भुगतान

वाऊचर संख्या:	16, माह 7/2013
कार्य का नाम	कोतवाली बाजार में संगम पार्क का विकास
ठेकेदार का नाम	श्री अशोक कुमार
बिल संख्या	प्रथम व अन्तिम बिल
माप पुस्तिका संख्या	38, पृष्ठ 74 से 78

कार्य “Providing tor steel reinforcement including the cutting binding etc” की मात्रा 167.14 का भुगतान ₹61/— प्रति किलो की दर से राशि ₹10,195 के लिए किया गया। अतिरिक्त कार्य मद की दर का निर्धारण सी0सी0 1:2:4 की दर जो एच0पी0एस0आर0 1999 के उपर 4% थी के अनुसार किया गया जबकि अनुबन्ध की धारा 12(3) के अनुसार अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण अनुबन्ध के ओवर ऑल प्रीमियम जो (—) 38.48प्रतिशत था के अनुसार 37.11 (59.48 (—) 38.48 प्रतिशत (—) 1022.86) प्रति किलो ग्राम होना था इस प्रकार संविदाकार को अतिरिक्त कार्य मद की दर का निर्धारण उच्च दरों पर करने के कारण राशि ₹4011/— (167.14 किलोग्राम) x (₹61 – ₹37) का अनुचित व अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

30 डिपार्टमेंटल चार्जिज की राशि ₹0.50 लाख की वसूली न करना

वाऊचर संख्या	13, माह मार्च, 2013
कार्य का नाम	आर0टी0ओ0 कार्यालय धर्मशाला की मुरम्मत का कार्य
ठेकेदार का नाम	श्री राकेश राणा
माप पुस्तिका संख्या	66, पृष्ठ—94

इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित अनियमिताएं पाई गई जिनका निपटारा करने के उपरान्त भुगतान को उचित ठहराया जाए। श्रेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर0टी0ओ0) द्वारा अपने कार्यालय की मुरम्मत हेतु नगर परिषद के पास दिनांक 27.5.2011 को राशि ₹2,93,000/— जमा करवाए गए तथा नगर परिषद द्वारा कार्य भी करवाया गया परन्तु नगर परिषद द्वारा किए गए कार्य के लिए विभागीय चार्जिज नहीं वसूले गए जबकि नियमानुसार यह वसूली आवश्यक थी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा 17% की दर पर विभागीय चार्जिज

की वसूली की जाती है, इस प्रकार राशि ₹49,810 विभागीय शुल्क के रूप में वसूल किए जाने अपेक्षित थे। अतः विभागीय चार्जिज की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए व की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

30.1 श्री राकेश राणा को प्रथम व अन्तिम बिल की राशि ₹36,939/- में से कुल राशि ₹15,574/- का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि श्री राकेश राणा को कोई अवार्ड पत्र जारी ही नहीं किया गया था। बिल में जिस पत्र को अवार्ड पत्र के रूप में दर्शाया गया वह निगम अभियन्ता द्वारा श्री राकेश राणा को नैगोशिएशन के लिए बुलाने हेतु जारी किया गया था। अतः बिना अवार्ड पत्र के कार्य करवाए जाने का कारण स्पष्ट किया जाए व की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

31 कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार कार्यों को समय पर पूर्ण न करने के कारण संविदाकारों से देय दण्ड राशि ₹1.09 लाख की वसूली न करना

परिषद द्वारा माह 11/2012 व 3/2013 के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों के अभिलेख की जाँच से पाया गया कि इन कार्यों के आबंटन पत्रों की शर्त के अनुसार यदि संविदाकार द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता तो कार्य आबंटन की राशि के 10% के बराबर की राशि अधिकतम दण्ड राशि वसूल की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार के समस्त प्रकरणों का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-“झ” में दिया गया है। इन प्रकरणों में न तो परिषद द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु समय सीमा में बढ़ौतरी स्वीकृत की गई थी और न ही कार्य आबंटन की शर्त के अनुसार दण्ड राशि ₹1,08,550/- की वसूली की गई थी। अतः परिषद या तो कार्यों के निष्पादन में समय सीमा में नियमानुसार बढ़ौतरी स्वीकृत करें अन्यथा राशि ₹1,08,550/- की वसूली करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32	वाऊचर संख्या:	11, माह 11/2012
	कार्य का नाम	वार्ड नम्बर 3 में सामुदायिक भवन का निर्माण
	टेकेदार का नाम	श्री राम पाल
	बिल नम्बर	दूसरा व अन्तिम बिल
	माप पुस्तिका संख्या	66, पृष्ठ-78
	कार्य आबंटन पत्र संख्या	896-97, दिनांक 6.4.2012 राशि ₹4,92,000/-

डी0एन0आई0टी0 में कार्य विवरण के अतिरिक्त यह शर्त भी दी गई थी, कि कार्य पर प्रयोग किए गए सीमेन्ट, स्टील इत्यादि के बिल भुगतान के समय ठेकेदार को प्रस्तुत करने होंगे, परन्तु अभिलेख की जाँच में उपरोक्त बिल संलग्न नहीं थे अतः स्पष्ट किया जाए कि जब ठेकेदार द्वारा कार्य की शर्तों की अनुपालना नहीं की गई तो उसे भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया। यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया कि कार्य हेतु नियमानुसार सीमेन्ट व स्टील प्रयोग किया गया। जाँच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

33

वाऊचर संख्या:

6, माह 11/2012 (डिपोजिट फण्ड)

कार्य का नाम

वार्ड नम्बर 6 में रणजीत कनौजिया के घर से विन्नी के घर तक रास्ते का निर्माण

ठेकेदार का नाम

श्री अशोक कुमार

बिल संख्या

दूसरा व अन्तिम बिल

माप पुस्तिका संख्या

64, पृष्ठ-72

डी0एन0आई0बी0 की शर्त संख्या: 5 के अनुसार कार्य हेतु Polyesten Triangular synthetic fiber की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी जिस हेतु ₹450 प्रति किलो की दर से वसूली/आपूर्ति की जाएगी। जाँच में पाया गया कि न तो नगर परिषद द्वारा यह fiber जारी की गई और न ही कोई वसूली की गई। अतः इसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा कार्य की मद संख्या: 2, जिसमें यह fiber का प्रयोग किया जाना था, के अन्तर्गत कुल 35.79 घन मीटर हेतु ₹2,900/- प्रति घन मीटर की दर से किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा इस मद की दर का पुनः निर्धारण कर के अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

33.1

यह कार्य कुल राशि ₹1,21,735/- के लिए आबन्धित किया गया परन्तु अन्तिम बिल तक कुल राशि ₹1,82,849/- का पारित किया गया अर्थात् का लगभग 50 प्रतिशत से अधिक कार्य में डेविएशन पाई गई परन्तु अन्तिम बिल का भुगतान करने में पूर्व इस डेविएशन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए। सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

34. ठेकेदार द्वारा कार्य को अधूरा छोड़ने के कारण दण्ड की राशि ₹0.70 लाख व धरोहर राशि ₹0.09 लाख की वसूली न करना

वाऊचर संख्या: 18, माह 3/2013 के अन्तर्गत श्री श्याम लाल ठेकेदार को वार्ड नम्बर 6 में नाले के चैनलाईजेशन के शेष कार्य पूर्ण करने पर राशि ₹3,82,421/- का भुगतान किया गया। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पूर्व में यह कार्य श्री दिपान्कर कपूर को कार्य आबंटन पत्र संख्या: 1150-52, दिनांक 16.09.2008 द्वारा कुल राशि ₹6,99,777 के लिए आबन्धित किया गया था जिसमें कार्य पूर्ण करने हेतु 6 माह का समय दिया गया परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। अतः 4 वर्ष बाद यह कार्य पुनः टैण्डर आमन्त्रित कर उपर वर्णित ठेकेदार श्री श्याम लाल से पूर्ण करवाया गया। माह 5/2012 में कार्य आबन्धित करने से पूर्व निगम अभियन्ता द्वारा श्री दिपाकर कपूर के विरुद्ध कार्य पूर्ण न करने के कारण दण्ड स्वरूप उनकी प्रतिभूति राशि ₹9,300/- जब्त करने तथा अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की संस्तुति प्रस्तुत की जिसके अन्तर्गत संविदाकार से कार्य की आबन्धित राशि ₹6,99,777/- का 10 प्रतिशत के बराबर की राशि ₹69,977/- दण्ड स्वरूप वसूली जानी आपेक्षित थी जाँच में पाया गया नगर परिषद द्वारा न तो प्रतिभूति राशि को जब्त किया गया ओर न ही दण्ड राशि ₹69,977/- की वसूली की गई जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब प्रतिभूति राशि ₹9,300/- तथा दण्ड की राशि ₹69,977/- कुल ₹79,277/- की वसूली उचित स्रोत से कर व परिषद कोष में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

35 स्लाटर हाऊस के रास्ते के निर्माण कार्य में संविदाकार को राशि ₹1000 का अधिक भुगतान करना

वाऊचर संख्या 7, माह 3/2013 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह बैस को स्लाटर हाऊस के रास्ते के निर्माण कार्य के अन्तिम बिल का राशि ₹23,801/- का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि गणना की चूक के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार राशि ₹22,801/- का वास्तविक भुगतान देय था :-

माप पुस्तिका संख्या: 61, पृष्ठ 64

कुल बिल	₹2,51,606
प्रथम बिल में भुगतान की गई राशि	<u>₹2,25,000</u>
शेष राशि	<u>₹26,606</u>
(-) सिक्वोरटी	₹2,661
(-) आयकर	₹612

(-) बिक्री कर

₹532

शेष राशि

₹22,801

इस प्रकार संविदाकार को राशि ₹1000 का अधिक भुगतान किया गया अतः अधिक भुगतान की राशि ₹1000 की उचित स्रोत से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

36 वास्तविक पावतियों के बिना धरोहर राशि ₹4.00 लाख का रिफण्ड करना

विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि के सन्दर्भ में :-

विभिन्न ठेकेदारों द्वारा कार्य हेतु जमा करवाई गई धरोहर राशियों से सम्बन्धित अभिलेख/रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ₹3,99,680/- को उन्हें वापिस किया गया दर्शाया गया। परन्तु न तो इस सन्दर्भ में सम्बन्धित ठेकेदारों से धरोहर राशि प्राप्ति की रसीद ली गई और न ही सम्बन्धित रजिस्टर पर ठेकेदारों के हस्ताक्षर करवाए गए थे इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट-“ज”** पर संलग्न है। इस प्रकरण को कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 266, दिनांक 5.2.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था परन्तु इस सन्दर्भ में कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस परिस्थिति में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला-2 के ध्यान में उचित जाँच हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया जाता है कि टैण्डर प्रक्रिया के दौरान सभी निविदाकारों से प्राप्त धरोहर राशियों को प्रथम स्तर पर सम्बन्धित निधि में जमा करवाकर तदोपरान्त नियमानुसार सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करके संविदाकारों को वापिस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 विद्युत विभाग द्वारा जारी स्ट्रीट लाईट के बिजली बिलों का सही लेखा-जोखा न रखने बारे :-

वाऊचर संख्या 10, माह 11/2012 की जाँच में पाया कि नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट लाईट के बिल माह 10/2012 के लिए राशि ₹12.00 लाख का भुगतान किया गया। नगर परिषद के पास ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिनसे पता चल सकता कि स्ट्रीट लाईट बिल की बकाया राशि कितनी थी एवं वर्तमान विद्युत प्रभार का बिल कितना था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170, दिनांक 23.12.2014 व संख्या 240, दिनांक 17.1.2015 के प्रतिउत्तर में उनके पत्र संख्या: 2294, दिनांक 21.1.2015 द्वारा सूचित किया गया कि विद्युत विभाग

के बिल संख्या 7784-86, दिनांक 22.10.2012 में दिनांक 21.8.2012 तक कुल बकाया राशि ₹1,11,43,249/- थी एवं माह 10/2012 के बिल में वर्तमान विद्युत प्रभार ₹81,175/- था।

अतः उपरोक्त भुगतान के सन्दर्भ में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई जिनके शीघ्र निपटारे हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करें :-

नगर परिषद धर्मशाला में स्ट्रीट लाईट के बिल से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किए गए हैं अर्थात् विद्युत विभाग समय-समय पर जितनी राशि की मांग करता है उसे सही मान भुगतान कर दिया जाता है जिससे अधिक भुगतान की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्ट्रीट लाईट के बिलों एवं किए गए भुगतानों का लेखा जोखा रखना सुनिश्चित करें ताकि दोहरे भुगतान की सम्भावना को नकारा जा सके।

- 37.1** निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा विद्युत विभाग को अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया था लेकिन भुगतान के पश्चात समायोजित बिल विद्युत विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए थे जिससे भुगतानों की सत्यता की भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	वाऊचर संख्या	निधि का नाम	राशि
1)	वाऊचर संख्या 10, माह 11/2012	नगर परिषद निधि	10,00,000
2)	वाऊचर संख्या 5, दिनांक 6.7.2013	डिपोजिट निधि	10,00,000
3)	वाऊचर संख्या 266, माह 3/2013	आईडीडीएसएमटी	15,00,000

उपरोक्त भुगतानों के अतिरिक्त अन्य माहों में किए गए भुगतानों के पश्चात् दिनांक 31.3.2014 को स्ट्रीट लाईट के बिलों की बकाया राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि विद्युत विभाग द्वारा दर्शाई गई बकाया राशि सही है या नहीं।

- 37.2** वाऊचर संख्या 10, माह 11/2012 की जाँच में पाया कि माह 10/2012 के विद्युत प्रभार के रूप में नगर परिषद द्वारा विद्युत विभाग को ₹2,00,000/- का भुगतान किया गया था जबकि विद्युत विभाग के 10/2012 के बिल में वर्तमान विद्युत प्रभार की राशि ₹81,175/- आंकी गई थी। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 170, दिनांक 23.12.2014 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ मामला लाया गया था। जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 2294, दिनांक 21.1.2015 द्वारा सूचित किया गया था कि अधिक भुगतान राशि ₹1,18,825/- का समायोजन आगामी माह के बिल से कर लिया जाएगा। अतः समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

38 Performance appraisal report of Plasma Pyrolysis Project

Name of Project	Plasma Pyrolysis Project
Funding Agency	State Council for Science, Technology and Environment, GOI
Period of Project	18 Month
Objectives	Safe disposal of Poly thone Carry bags of Plasma Pyrolysis at Dharamshala
Date of Start	6-12-2004

उपरोक्त प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सूचना अंकेक्षण अध्याचना संख्या 288, दिनांक 18.2.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से मांगी गई थी जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या MCD/2015/2626, dated 10-3-2015 द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई :-

- (1) Funds provided by the funding agency ₹3,76,000/-

Detail are as under:

- (i) Letter No. SCSTE/7579, dated 12-9-2003, ₹1,50,000/-
- (ii) Letter No. SCSTE/F(8)-12/97-ol-III-5595, dated 29-6-2004 ₹1,26,000/-
- (iii) Letter No. SCSTE-1287, dated 23-2-2006, ₹1,00,000/-
- (2) Plasma Machine of ₹18,36,120/- provided by the funding agency.
- (3) Expenditure of ₹6,98,460/- was incurred by the M.C. Dharamshala for the installation of 63 KVA Transformer, Electrical fitting, C/o shed, C/o retaining wall, and for C/o Stair etc.
- (4) (i) One Technician Sh. Surinder Singh appointed vide letter no. 1381, dated 8-10-2003 for 18 Month on fixed amoluments of ₹4000/- P.M.
- (ii) One helper Sh. Raman Kumar appointed vide letter no. 1383, dated 14-10-03 on fixed salary of ₹2500/- P.M.
- (5) Plasma Pyrolysis System was out of order in the Year 2009

उपरोक्त प्रोजेक्ट से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की जाँच के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :-

38.1 नगर परिषद निधि से दिनांक 1.1.2007 से 31.3.2014 तक हैल्पर व तकनीशियन के वेतन की राशि ₹9.82 लाख का अनियमित भुगतान

उपरोक्त प्रोजेक्ट दिनांक 16.12.2004 को भारत सरकार द्वारा 18 महीने की अवधि के लिए धर्मशाला में शुरू किया गया था। अर्थात् इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन दिनांक 15.6.2006 तक भारत सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। अंकेक्षण के दौरान कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया था कि उपरोक्त प्रोजेक्ट में उपलब्ध प्लाज्मा मशीन द्वारा दिनांक 28.12.2006 तक कार्य किया गया था दिनांक 29.12.2006 से वर्ष 2009 तक मशीन के संचालन से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे तथा वर्ष 2009 से मशीन खराब पड़ी थी। अतः दिनांक 29.12.2006 से दिनांक 31.3.2014 तक उक्त प्रोजेक्ट में एक टैक्नीशियन तथा एक हैल्पर के वेतन के रूप में नगर परिषद निधि से ₹9,82,020/- का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें। वेतन के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है :-

कर्मचारी का नाम	अवधि	माह	वेतन प्रति माह (₹)	कुल भुगतान
श्री सुरिन्द्र सिंह , तकनीशियन	1.1.2007 से 30.11.2009	35	4000	1,40,000
श्री सुरिन्द्र सिंह , तकनीशियन	1.12.2009 से 31.3.2014	52	8310	4,32,120
श्री रमन कुमार, हैल्पर	1.1.2007 से 30.11.2009	35	2500	87,500
श्री रमन कुमार, हैल्पर	1.12.2009 से 31.3.2014	52	6200	3,22,400
कुल भुगतान				₹9,82,020/-

38.2 प्रोजेक्ट के कर्मचारियों की अनियमित तरीके से अनुबन्ध आधार पर नियुक्तियां करने बारे

जाँच में पाया कि उपरोक्त प्रोजेक्ट में Fixed Salary के आधार पर रखे गए कर्मचारी श्री सुरेन्द्र सिंह (तकनीशियन) तथा श्री रमन कुमार (हैल्पर) को दिनांक 1.12.2009 से क्रमशः ₹5910+2400 एवं ₹4900+1300 के वेतन मान में अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति दे दी गई थी जो कि अनुचित/अनियमित थी क्योंकि उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्रोजेक्ट में की गई थी अतः उपरोक्त कर्मचारियों को बिना किसी कार्य के (क्योंकि प्लाज्मा मशीन खराब पड़ी थी) नियमों के विपरीत अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति देने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अनियमित भुगतान की वृत्तिली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

38.3 जाँच में पाया कि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद धर्मशाला द्वारा प्रोजेक्ट में रखे गए कर्मचारियों के अनुबन्ध अवधि में विस्तार हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग से निम्नलिखित पत्रों में कर्मचारियों के कार्य की Satisfactory Report प्रस्तुत की गई थी लेकिन जब प्लाज्मा मशीन

ही खराब पड़ी थी तो किस आधार पर कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा की गई थी, स्पष्ट किया जाए पत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

- (1) Letter No. 1445, Office of M.C. Dharamshala, Dated 12-5-2010
- (2) Letter No. 934, Office of M.C. Dharamshala, Dated 28-4-2011
- (3) Letter No. 1180, Office of M.C. Dharamshala, Dated 20-6-2011
- (4) Letter No. 329, Office of M.C. Dharamshala, Dated 02-6-2012

38.4 जाँच में पाया कि उपरोक्त प्रोजेक्ट में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्लाज्मा मशीन मुल्य ₹18,36,120/- की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही इसका नियमों के अनुसार भौतिक सत्यापन किया गया था जिससे पता चल सके कि मशीनरी वास्तव में किस अवधि से खराब पड़ी थी। मशीनरी की समय पर मरम्मत न करने का औचित्य स्पष्ट करें।

38.5 अंकेक्षण के दौरान दिनांक 28.12.2006 के पश्चात प्लाज्मा मशीन की लॉग बुक उपलब्ध नहीं करवाई गई थी जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

39 यात्रा भत्ता दावे की राशि ₹1,910 का अनियमित भुगतान

वाऊचर संख्या: 35, माह 3/2013 के अन्तर्गत किए गए यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान की जाँच में पाया गया कि कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार राशि ₹1,910/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(1) श्री उमेश कुमार (प्रारूपकार) को दिनांक 18.12.2012 से 20.12.2012 तक के शिमला प्रवास हेतु की गई यात्रा राशि ₹1,344/- का भुगतान किया गया। इस भुगतान में उनके द्वारा दिनांक 19.12.2012 को ठहराव हेतु राशि ₹500/- का भुगतान होटल चार्जिज के रूप में लिया गया जो नियमानुसार देय नहीं है अतः जिन नियम/आदेशों के अन्तर्गत भुगतान लिया गया उन्हें दर्शा कर किये गए भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(2) निम्न कर्मचारियों को प्रवास के दौरान दैनिक भत्तों का भुगतान देय दरों से अधिक दरों पर किया गया। अतः अधिक भुगतान की वसूली कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम तथा की गई यात्रा की अवधि व भुगतान की गई राशि	भुगतान का विवरण	नियमानुसार देय भुगतान	अधिक भुगतान की गई राशि
1)	श्री उमेश कुमार, 7.10.12 से 9.10.12 तक राशि ₹844/—	7.10.12 धर्मशाला 9:00 PM से शिमला 8.10.12, 5:00 AM 1 दिन का दैनिक भत्ता ₹130/—	शून्य	130
2)	श्री ललित कुमार 18.3.13 से 19.3.13 तक	धर्मशाला से शिमला 18.3.13 1.30 PM 160 70% of 160 =112 30% of 72 =22 134		26
		शिमला से धर्मशाला 19.3.13, 10 AM 160 70% of 72 =50		110 136
	2.12.12 से 3.12.12	धर्मशाला से शिमला 2.12.12 1.30 PM 160 70% of 160 =112 30% of 72 =22 134		26
		शिमला से धर्मशाला 3.12.12, 10 AM 160 70% of 72 =50		110 136
3)	श्री राकेश गुप्ता 18.3.13 से 19.3.13 व 2.12.12 से 3.12.12	—यथोपरि—	—यथोपरि—	136 136
4)	श्री राजेश कुमार 18.3.13 से 19.3.13 व 2.12.12 से 3.12.12	—यथोपरि—	—यथोपरि—	136 136
5)	श्री वरिन्द्र कुमार 18.3.13 से 19.3.13 व	—यथोपरि—	130 70% of 130 = 91 30% of 60 = 18 109	21 109
	2.12.12 से 3.12.13		130 70% of 60 = 42	87 109
6)	श्री सुनील कुमार, वाऊचर सं. 1, माह 7/13, यात्रा अवधि 22.5.13 से 24.5.13	धर्मशाला से शिमला 22.5.13 22.5.13 130 72 58 11AM 7PM		
		शिमला से धर्मशाला 24.5.13 6 PM 130 72 58 10 AM		
7)	श्री रविन्द्र, वाऊचर सं. 1, माह 7/13, यात्रा अवधि 21.4.13 से 22.4.13	धर्मशाला से शिमला 21.4.13 22.4.13 130 शून्य 10 PM 5 AM		130

40 वाहन

कालातीत बिल दिनांक 6.10.2008 की राशि ₹5,400 का अनियमित भुगतान

वाऊचर संख्या: 6, माह 3/2013 के अन्तर्गत मै0 संजय मोटर्ज को उनके बिल संख्या: 759, दिनांक 6.10.2008 के लिए राशि ₹5,400/- का भुगतान किया गया। नगर परिषद द्वारा वाहनों की मुरम्मत के रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया है और न ही कोई अन्य अभिलेख जिससे प्रमाणित हो सके कि इस बिल का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है। इस कालातीत भुगतान को करने से पूर्व नगर परिषद की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई।

अतः 5 साल पुराने, कालातीत बिल के भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए, अन्यथा राशि की उचित स्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

40.1 वाऊचर संख्या: 2, माह 3/2013 के अन्तर्गत मै0 मान फिलिंग स्टेशन को उनके बिल संख्या: 072157, दिनांक 12.2.2013 द्वारा 50 लीटर डीजल व 1 लीटर मुबलायल की खरीद हेतु भुगतान किया गया जबकि गाड़ी की लॉग बुक में केवल 50 लीटर डीजल का इन्द्राज लिया गया था जिसे गाड़ी के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा भी सत्यापित किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि बिल के अन्तर्गत भुगतान किए गए मुबलायल की खरीद नहीं की गई। अतः उचित स्रोत से एक लीटर मुबलायल की राशि ₹240/- की वसूली/आपूर्ति कर परिषद कोष में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

40.2 वाऊचर संख्या: 27, माह 3/2013 के अन्तर्गत मै0 यूनीक मोटर्ज को समय-समय पर वाहन संख्या एच0पी039-5182 की मुरम्मत करने पर उनके बिलों की राशि ₹18,362/- का भुगतान किया गया। भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं। अतः जाँच उपरान्त व उचित कार्यवाही अमल में लाकर की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। पाई गई अनियमितता का विवरण निम्नलिखित है :-

दिनांक 30.8.2012 को चालक श्री विदेश कुमार द्वारा गाड़ी की रिपेयर (Major repair) हेतु राशि ₹31,266/- का अनुमान इस आशय के साथ कार्यालय में प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20.9.2012 को गाड़ी की पासिंग करवाई जानी है। अतः उससे पूर्व यह रिपेयर करवाई जानी है निगम अभियन्ता द्वारा दिनांक 20.11.2012 को अर्थात् अनुमान पत्र के तीन माह बाद व पासिंग के 2 माह बाद नैगोसिएशन के लिए बुलाने हेतु लिखा गया जिसके पश्चात् मै0 यूनीक मोटर के बिल संख्या: 3059 व 3060, दिनांक शून्य, कुल राशि ₹14,141/- का भुगतान किया गया, जिसे कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया गया कि यह मुरम्मत पासिंग के समय की गई जो उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मुरम्मत कार्य करवाने हेतु कार्यवाही पासिंग के 2 माह

पश्चात् शुरु की गई, बिलों में भी कोई तिथि नहीं दी गई जिससे प्रमाणित हो सके कि कार्य कब करवाया गया। गाड़ी की लॉग बुक के अनुसार इस अवधि में गाड़ी धर्मशाला में कार्य करती रही, गगल जो धर्मशाला से 17 कि०मी० दूर है, मुरम्मत हेतु गाड़ी गई ही नहीं। अतः जाँच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 40.3** राशि ₹3,688/- का भुगतान दिनांक 4.11.2011 को बिल संख्या 105501955 द्वारा करवाई गई मुरम्मत के लिए किया गया। गाड़ी की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 2.11.2011 को गाड़ी खराब दर्शाई गई व धर्मशाला में खड़ी रही परन्तु 3.11.2011 के पश्चात् गाड़ी लगातार कार्य करती रही जबकि वर्णित बिल 4.11.2011 का है। दिनांक 4.11.2011 के लगभग 15 माह पश्चात् माह 3/2013 में बिल का भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता है अतः जाँच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाकर की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 अन्य

वाऊचर संख्या: 17, माह 11/2012 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन माह 10/2012 व 11/2012 में ग्रुप इन्श्योरेंस से सम्बन्धित की गई कटौतियों को जमा करवाया गया। जाँच में पाया गया कि नीचे वर्णित शीर्षों के तहत कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि से अधिक राशि को जमा करवाई गई अतः अधिक जमा करवाई गई राशि की उचित स्रोत से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

शीर्ष	काटी गई कुल राशि	जमा करवाई गई राशि	अधिक जमा करवाई गई राशि
U-PH-“F” Contingency	1344/-	1392/-	48/-
7-M.P. L-B Execution	4944/-	5136/-	192/-
		कुल राशि	240/-

- 41.1** वाऊचर संख्या: 18, माह 11/2012 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से काटी गई जीवन बीमा की राशियों को जमा करवाया गया। जाँच में पाया गया कि 7-M.P.L-B-Execution शीर्ष के अन्तर्गत तैनात कर्मचारियों के वेतन से कुल राशि ₹2,668/- की कटौती की गई जबकि केवल ₹2,572/- जमा करवाए गए। अतः कम जमा करवाई गई राशि ₹96/- को जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

- 41.2** वाऊचर संख्या: 21, माह 11/2012 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से काटी गई अंशदान भविष्य निधि राशि को नगर परिषद अंशदान सहित जमा करवाया गया। जाँच में पाया गया कि 7-MPL-“B” Execution शीर्ष के अन्तर्गत तैनात कर्मचारियों के वेतन से कुल ₹90,720/- अंशदान के रूप में काटे गए जबकि राशि ₹90,270/- जमा करवाए गए। अतः कम जमा करवाई गई राशि ₹450/- तथा ₹450/- परिषद अंशदान कुल ₹900/- को अंशदान भविष्य निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।
- 41.3** वाऊचर संख्या: 16, माह 7/2013 के अन्तर्गत राशि ₹12,000/- का भुगतान मै0 विक्रान्त प्रिन्टर्ज को बिल संख्या: 114, दिनांक शून्य के अन्तर्गत ₹12/- की दर से 1000 फाईल कवर की आपूर्ति करने के लिए किया गया जाँच में पाया गया कि मै0 विक्रान्त प्रिन्टर्ज ने अपनी संविदाओं में इस कार्य हेतु ₹11.50 प्रति कवर की दर प्रस्तुत की थी परन्तु विभाग द्वारा भुगतान ₹12/- प्रति की दर से किया गया। अतः ₹0.50 प्रति एक की दर से 1000 फाईल कवर की खरीद पर अधिक भुगतान ₹500/- की वसूली उचित स्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।
- 41.4** वाऊचर संख्या: 39, माह 7/2013 के अन्तर्गत मै0 सुनील मोटर्ज को बिल संख्या 34, दिनांक 4.4.2013 के अन्तर्गत गाड़ी संख्या 5182 की मरम्मत करने पर राशि ₹10,470/- का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि मै0 सुनील मोटर्ज ने वैट के रूप में राशि ₹1,265/- का भुगतान प्राप्त किया जबकि संविदाओं में दी गई दरों में वैट अलग से वसूल करनेकी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी अतः भुगतान किए गए वैट राशि ₹1,265/- की वसूली उचित स्रोत से कर व जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।
- 41.5** वाऊचर संख्या: 17, माह 7/2013 के अन्तर्गत मै0 नैशनल इन्शोरन्स कम्पनी को वाहन संख्या: एच0पी0-68-2153 के अवधि 16.7.2013 से 15.7.2014के लिए इन्शोरन्स प्रीमियम की राशि ₹20,443/- का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने वाहनों की इन्शोरन्स से सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिससे पता चले कि पूर्व में कब व कितना भुगतान किया गया था। अतः अलग से अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अभिलेख तैयार कर आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए।

- 41.6** वाऊचर संख्या: 40, माह 7/2013 के अन्तर्गत वाहन संख्या: 68-2846 में बिल संख्या: 59581 व 68021 द्वारा तेल डलवाने पर मैं0 मान फिलिंग स्टेशन को कुल राशि ₹5,859/- का भुगतान किया गया इस क्रय से सम्बन्धित गाड़ी की लॉग बुक जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।
- 41.7 बैंक द्वारा TDS के रूप में ₹10,533/- की कटौती करने बारे**
- जाँच में पाया कि FDR संख्या 853039 (KCC Bank) द्वारा ₹11,00,000/- की राशि दिनांक 26.3.2012 को नगर परिषद द्वारा 1 वर्ष के लिए 9.25% ब्याज पर निवेश की गई थी तथा एक वर्ष के पश्चात ₹1,05,334/- की राशि ब्याज के रूप में अर्जित की जानी थी। जाँच में पाया कि दिनांक 26.3.2013 को केवल ₹94,801/- का ब्याज ही नगर परिषद को दिया गया था तथा ₹10,533/- की राशि TDS के रूप में काट की गई थी जो कि अनुचित कटौती थी क्योंकि सरकारी विभागों द्वारा निवेशित राशि पर TDS नहीं काटा जाता। अतः इस मुद्दे पर बैंक के अधिकारियों से बातचीत करके TDS की राशि ₹10,534/- पुनः प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।
- 41.8** वाऊचर संख्या: 14, माह 11/2012 के अन्तर्गत राशि ₹2,73,127/- का भुगतान मैं0 चोपड़ा जनरल स्टोर को बिल संख्या: 307, दिनांक 29.6.2012, 312, दिनांक 25.8.2012 व बिल संख्या: 316, दिनांक 18.10.2012 द्वारा विद्युत सामान की आपूर्ति करने पर किया गया। जाँच में पाया गया कि बिल संख्या: 312 व 316 में कुल 600 नम्बर स्टार्टर की खरीद ₹9/- प्रति एक की दर पर की गई जबकि निविदाओं में यह दर ₹8.50 पैसे प्रति एक थी। अतः 600 स्टार्टर की खरीद पर ₹0.50 पैसे प्रति एक की दर पर अधिक किए गए भुगतान ₹300/- + ₹41.25 पैसे टैक्स, कुल ₹341.25 पैसे की उचित स्रोत से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।
- 41.9** वाऊचर संख्या: 26, माह 11/2012 के अन्तर्गत मैं0 सतीश ट्रेडर्स धर्मशाला से बिल संख्या: 2913, दिनांक 20.10.2012 द्वारा सफाई कार्य हेतु बेलचा, कस्सी, दराट, हथौड़ा व रस्सी इत्यादि की खरीद करने पर कुल राशि ₹7,468/- का भुगतान किया गया। सम्बन्धित बिल वाऊचर जाँच हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।
- 41.10** वाऊचर संख्या: 33, माह 11/2012 के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड को माह 10/2012 के दूरभाष की राशि ₹1,944/- का भुगतान किया गया। नगर परिषद द्वारा भुगतान किए गए बिलों की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी, जिसके अभाव में दोहरे भुगतान को नकारा नहीं

जा सकता है। अतः प्रविष्टि न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व प्रविष्टि करने के पश्चात आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

41.11 वाऊचर संख्या: 18, माह 3/2013 के अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के अवधि 12/2012 से 3/2013 तक के पानी के बिलों की राशि ₹17,980/- का भुगतान किया गया, सम्बन्धित अभिलेख में इस भुगतान को कोई प्रविष्टि/ईन्द्राज नहीं किया गया जिससे यह पता चल सके कि इससे पूर्व कब व कितना भुगतान किया गया, क्या वर्तमान बिल का पूर्व में भुगतान तो नहीं किया जा चुका है। अतः किए गए भुगतान का ईन्द्राज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

41.12 वाऊचर संख्या: 19, माह 3/2013 के अन्तर्गत नगर परिषद कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी भविष्य निधि राशि की कटौती की परिषद अंशदान के साथ कुल राशि ₹2,28,924/- को खाते में जमा करवाया गया। जाँच में पाया गया कि 7-म्यूनिसिपल शीर्ष के अन्तर्गत मज़दूरों के वेतन से की गई कुल कटौती राशि ₹89,420/- के स्थान पर राशि ₹90,720/- जमा करवाई गई जो वास्तविक राशि से ₹1300/- अधिक थी तदनुसार परिषद अंशदान भी जमा करवाया गया इस प्रकार कुल ₹2600/- अधिक जमा करवा दिए गए। अतः अधिक जमा करवाई गई राशि का समायोजनोंपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41.13 वाऊचर संख्या: 11, माह 7/2013 के अन्तर्गत राशि ₹3000/- की अग्रधन राशि श्री मनजीत सिंह, वाहन चालक को शिमला प्रवास पर तेल इत्यादि की खरीद करने हेतु किया गया। इस राशि के समायोजन बिल जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर तथा शेष अनुपयोगी राशि को जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

41.14 महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार न करने बारे

अंकेक्षण में पाया कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार नहीं किए गए जिन्हें शीघ्र अतिशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें।

- (1) Contractor Ledger
- (2) Security Register
- (3) Property Register

42 लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई।

43 निष्कर्ष :-नगर परिषद के लेखों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं पाया गया लेखाओं के रख-रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: V(11)-Fin(LAD)-Vol-7-4818-4819, दिनांक: 19.08.2015, शिमला-171009

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

- 1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002
- पंजीकृत 2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

परिशिष्ट—“क”

प्रतिवेदन के पैरा-2 में वर्णित

- 1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1954 से 3/1955
1 पैरा 14 अनिर्णीत
- 2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1955 से 9/1957
1 पैरा 10(बी) अनिर्णीत
- 3 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1957 से 3/1958
1 पैरा 13(2) अनिर्णीत
- 4 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1958 से 9/1958
1 पैरा 2 अनिर्णीत (सार्वजनिक निर्माण विभाग से ₹253.38 की वसूली का मामला)
- 5 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1958 से 6/1959
1 पैरा 7(2) अनिर्णीत
2 पैरा 10(बी) अनिर्णीत
3 पैरा 16(3) अनिर्णीत
- 6 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1961 से 3/1962
1 पैरा 12 अनिर्णीत
2 पैरा 17(ए) अनिर्णीत
- 7 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1964 से 3/1965
1 पैरा 9(1,3) अनिर्णीत
2 पैरा 10(2,9,10,13) अनिर्णीत
3 पैरा 11 अनिर्णीत
4 पैरा 14(बी) अनिर्णीत
5 पैरा 15(एफ, जी, एच, जे) अनिर्णीत
- 8 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1966 से 3/1969
1 पैरा 10 अनिर्णीत
2 पैरा 10(बी, सी) अनिर्णीत
3 पैरा 11 अनिर्णीत

4	पैरा 12(1 से 4)	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 15(बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 16(2 से 5)	अनिर्णीत
8	पैरा 17(2, 3)	अनिर्णीत
9	पैरा 18	अनिर्णीत
10	पैरा 18(6)	अनिर्णीत
11	पैरा 19	अनिर्णीत
12	पैरा 20(बी)	अनिर्णीत
13	पैरा 21(बी, सी)	अनिर्णीत
14	पैरा 21(डी)	अनिर्णीत

9 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1969 से 3/1970

1	पैरा 6, 7, 9	अनिर्णीत
2	पैरा 9(सी, डी)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(ए से जी)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(ए से जी)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ए से बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 12(सी)(1,2,3)	अनिर्णीत
7	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 14(2, 5)	अनिर्णीत
9	पैरा 15(2, 3)	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 16(2 से 4)	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत

10 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1970 से 3/1973

1	पैरा 3(सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ए, बी, सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9(ए से जे)	अनिर्णीत

7	पैरा 10(ए से के)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(ए से ई)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(ए से सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(1 से 4)	अनिर्णीत
11	पैरा 14(ए से एन)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(ए से जे)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(आई से के)	अनिर्णीत
14	पैरा 16(1 से 7)	अनिर्णीत
15	पैरा 17	अनिर्णीत
16	पैरा 18(1 से 4)	अनिर्णीत
17	पैरा 19	अनिर्णीत
18	पैरा 20	अनिर्णीत
19	पैरा 21(1, 2)	अनिर्णीत
20	पैरा 22	अनिर्णीत
21	पैरा 23(1, 2)	अनिर्णीत
22	पैरा 24(ए से डी)	अनिर्णीत
23	पैरा 25	अनिर्णीत
24	पैरा 26	अनिर्णीत
25	पैरा 27(1, 2)	अनिर्णीत
26	पैरा 28(1 से 3)	अनिर्णीत
27	पैरा 29 से 32	अनिर्णीत

11 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1973 से 3/1975

1	पैरा 3(बी, सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ए से ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(ए से डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(ए से सी)	अनिर्णीत
7	पैरा 10(ए से एन)	अनिर्णीत
8	पैरा 10(ओ से आर)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(ए से ई)	अनिर्णीत

10	पैरा 12(ए से डी)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(1 से 3)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(1 से 3)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(1 से 2)	अनिर्णीत
14	पैरा 16	अनिर्णीत
15	पैरा 17(1 से 8)	अनिर्णीत
16	पैरा 18(ए से एम)	अनिर्णीत
17	पैरा 19(1 से बी)	अनिर्णीत
18	पैरा 19(सी)(2 से 4)	अनिर्णीत
19	पैरा 20(ए से ई)	अनिर्णीत
20	पैरा 21	अनिर्णीत
21	पैरा 22(ए से ई)	अनिर्णीत
22	पैरा 23(ए से डी)	अनिर्णीत
23	पैरा 24(ए से एन)	अनिर्णीत
24	पैरा 25(ए से सी)	अनिर्णीत
25	पैरा 26(1 से 4)	अनिर्णीत
26	पैरा 27	अनिर्णीत
27	पैरा 28 से 37	अनिर्णीत
28	पैरा 38 (ए, बी)	अनिर्णीत
29	पैरा 39	अनिर्णीत
30	पैरा 40(बी से के)	अनिर्णीत
31	पैरा 41 से 50 तक	अनिर्णीत

12 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1975 से 3/1978

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7(क)(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 8 से 19	अनिर्णीत
6	पैरा 20(2 से 15)	अनिर्णीत
7	पैरा 20(17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28)	अनिर्णीत

8	पैरा 21 से 25	अनिर्णीत
9	पैरा 26(1 से 4)	अनिर्णीत
10	पैरा 27 से 41	अनिर्णीत
11	पैरा 43(1 से 6, 9 से 11, 13 से 19)	अनिर्णीत
12	पैरा 44(4 से 10)	अनिर्णीत
13	अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1981	
1	पैरा 3(बी)(2, 3)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(सी)	अनिर्णीत
3	पैरा 5, 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(सी)(1 से 4)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ए, बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(ए, डी)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(1 से 3)	अनिर्णीत
9	पैरा 10(ए से सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 11 से 14	अनिर्णीत
11	पैरा 15(ए से बी)	अनिर्णीत
12	पैरा 16(ए से बी)	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 18(ए से सी)	अनिर्णीत
15	पैरा 19(ए)	अनिर्णीत
16	पैरा 20(ए से एच)	अनिर्णीत
17	पैरा 21, 22	अनिर्णीत
18	पैरा 23(ए से बी)	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 25(ए से सी)	अनिर्णीत
21	पैरा 26(1 से 18)	अनिर्णीत
22	पैरा 27(1 से 6)	अनिर्णीत
23	पैरा 28(1 से 25)	अनिर्णीत
24	पैरा 29(1,2,3) से (1 से 9)	अनिर्णीत

25	पैरा 30(1 से 3)	अनिर्णीत
26	पैरा 31	अनिर्णीत
27	पैरा 32(1 से 4)	अनिर्णीत
28	पैरा 33(ए)	अनिर्णीत
29	पैरा 34	अनिर्णीत
30	पैरा 35(ए,बी,सी)(1,2)	अनिर्णीत
31	पैरा 35(डी)	अनिर्णीत
32	पैरा 35(ई)(1 से 3)	अनिर्णीत
33	पैरा 35(एफ)(1 से 2)	अनिर्णीत
34	पैरा 35(जी)	अनिर्णीत
35	पैरा 36(ए से सी)	अनिर्णीत
36	पैरा 37(ए, बी)	अनिर्णीत
37	पैरा 38(ए, बी)	अनिर्णीत
38	पैरा 39	अनिर्णीत
39	पैरा 40	अनिर्णीत
40	पैरा 41(ए से एफ)	अनिर्णीत
41	पैरा 42(ए से सी)	अनिर्णीत
42	पैरा 43(ए से सी)	अनिर्णीत
43	पैरा 43(ए से ई)	अनिर्णीत
44	पैरा 44(ए से डी)	अनिर्णीत
45	पैरा 45(ए)(1 से 6)	अनिर्णीत
46	पैरा 45(बी, सी)(1 से 3)	अनिर्णीत
47	पैरा 45(डी से जी)	अनिर्णीत
48	पैरा 46(ए से सी)	अनिर्णीत
49	पैरा 47(ए से एफ)	अनिर्णीत
50	पैरा 48	अनिर्णीत
51	पैरा 49(1 से 3)	अनिर्णीत
52	पैरा 50	अनिर्णीत
53	पैरा 51 (ए से सी, एफ से के)	अनिर्णीत
54	पैरा 52(1 से 2)	अनिर्णीत
55	पैरा 53, 54	अनिर्णीत

56	पैरा 55(1 से 11)	अनिर्णीत
57	पैरा 56	अनिर्णीत
58	पैरा 57(1 से 2)	अनिर्णीत
14	अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 3/1984	
1	पैरा (बी से एफ)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(1 से 2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(1 से 7)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(1 से 7)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(2, 3)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(1 से 5)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(1 से 2)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(1, 3, 4)	अनिर्णीत
10	पैरा 14(1 से 3)	अनिर्णीत
11	पैरा 15(1 से 3)	अनिर्णीत
12	पैरा 16(1 से 3)	अनिर्णीत
13	पैरा 18(1 से 5)	अनिर्णीत
14	पैरा 19(1 से 5)	अनिर्णीत
15	पैरा 20(1 से 7, 9 से 12, 14 से 36)	अनिर्णीत
16	पैरा 21(1 से 9)	अनिर्णीत
17	पैरा 22(1 से 4, 6 से 8)	अनिर्णीत
18	पैरा 23(1 से 7)	अनिर्णीत
19	पैरा 24(1 से 9)	अनिर्णीत
20	पैरा 25(1 से 6)	अनिर्णीत
21	पैरा 26(1 से 2)	अनिर्णीत
22	पैरा 27	अनिर्णीत
23	पैरा 28(1, 2)	अनिर्णीत
24	पैरा 29	अनिर्णीत
25	पैरा 30(1 से 17)	अनिर्णीत
15	अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1987	

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1 | पैरा 3(बी से एफ) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5(1 से 4) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6(1 से 3) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 7(1 से 9) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 10(1 से 2) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 11(1 से 3) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 12(1 से 2) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 14(ए से एफ) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 15(ए से डी) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 16(1 से 3) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 17, 18 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 19(1 से 2) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 20(ए से एच) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 21(1) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 21(2)(1) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 21(2)(2, 4) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 21(3)(1 से 4) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 22(4) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 22(1)(1, 2) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 22(1)(4 से 28) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 22(2)(1 से 43) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 23(1 से 14) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 24 | अनिर्णीत |
- 16 परीक्षक महोदय की दिनांक 6.8.1988 की निरीक्षण रिपोर्ट:— निरीक्षण रिपोर्ट अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई यह आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 17 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1990
- | | | |
|---|--------------|----------|
| 1 | पैरा 3(ख)(1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 3(ख)(2) | अनिर्णीत |

3	पैरा 3(ख)(3 से 6)	अनिर्णीत
4	पैरा 3(ग)(1)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 3(ग)(2)(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 3(ग)(2)(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(क)(2)(3)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(1, 2, 3)	अनिर्णीत
9	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 8, 9	अनिर्णीत
12	पैरा 10(1 से 8)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(12)	अनिर्णीत
14	पैरा 12(क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
15	पैरा 12(5,6,7)	अनिर्णीत
16	पैरा 13	अनिर्णीत
17	पैरा 14(2,3,4)	अनिर्णीत
18	पैरा 15(1 से 4)	अनिर्णीत
19	पैरा 17	अनिर्णीत
20	पैरा 19	अनिर्णीत
21	पैरा 20(1 से 7)	अनिर्णीत
22	पैरा 21(1)	अनिर्णीत
23	पैरा 21(11)(क, ख)	अनिर्णीत
24	पैरा 23(3)	अनिर्णीत
25	पैरा 21(4)	अनिर्णीत
26	पैरा 21(5)(ख)	अनिर्णीत
27	पैरा 21(6 से 15)	अनिर्णीत
28	पैरा 21(16)(1 से 18)	अनिर्णीत
29	पैरा 21(17)	अनिर्णीत
30	पैरा 21(18)	अनिर्णीत
31	पैरा 22(1 से 10)	अनिर्णीत
32	पैरा 22(11) (क, ख, ग)	अनिर्णीत
33	पैरा 22(12) (क, ख)	अनिर्णीत

34	पैरा 22(13 से 21)	अनिर्णीत
35	पैरा 22(22) (क, ख)	अनिर्णीत
36	पैरा 22(22)	अनिर्णीत
37	पैरा 22(23) (क, ख, ग)	अनिर्णीत
38	पैरा 22(24, 25)	अनिर्णीत
39	पैरा 22(26) (क से घ)	अनिर्णीत
40	पैरा 22(27) (क से ग)	अनिर्णीत
41	पैरा 22(29, 30)	अनिर्णीत
42	पैरा 23(1) (क, ख)	अनिर्णीत
43	पैरा 23(2 से 3)	अनिर्णीत
44	पैरा 23(5 से 11)	अनिर्णीत
45	पैरा 23(12)(क)	अनिर्णीत
46	पैरा 23(12)(ख)	अनिर्णीत
47	पैरा 23(13 से 23)	अनिर्णीत

18 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

1	पैरा 3(ख)(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(घ)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(ङ, च, छ)	अनिर्णीत
4	पैरा 4	अनिर्णीत
5	पैरा 5(क, ख, ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 6	अनिर्णीत
7	पैरा 7(क, ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 8(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
9	पैरा 9, 10, 11, 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13(क, ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 15 से 20	अनिर्णीत
12	पैरा 21 से 27	अनिर्णीत
13	पैरा 29 से 43	अनिर्णीत

19 गत अंकेक्षण :- गोण आपत्ति विवरणिकायें :-

पुरानी आपत्ति विवरणिकाओं के निम्नलिखित मद अभी तक भी अनिर्णीत हैं। इनके निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

क्र०सं०

अंकेक्षण अवधि

मदों का विवरण

1	5 / 1959 से 3 / 1960	14
2	4 / 1961 से 3 / 1962	3(बी), 6(पी), 10, 12, 26
3	4 / 1962 से 3 / 1963	14, 34, 35, 38, 40, 46, 57(बी), 60, 65, 67, 72, 78, 82(पी) तथा 84
4	4 / 1963 से 3 / 1964	2, 3, 15, 21, 24, 26, 27, 29, 30 से 34, 44 से 48, 49(बी), 50, 53 से 59, 61 से 64
5	4 / 1964 से 3 / 1965	1(पी), 5, 8, 23, 24, 30, 33(बी), 35, 41, 42, 45, 52(बी), 57, 60, 65, 68, 73, 74, 75, 76, 77(बी), 80, 84(पी) तथा 87
6	4 / 1965 से 9 / 1966	2 से 4, 9, 11 से 15, 17(पी), 19 से 21, 23 से 28, 31(बी), 32 से 39, 41, 44, 46, 47, 49(पी) तथा 52
7	10 / 1966 से 3 / 1969	1 से 7, 9 से 20, 22 से 23
8	4 / 1969 से 3 / 1970	1 से 17, 19 से 22, 24 से 28, 29(ए, बी, डी), 30 से 53, 55 से 65
9	4 / 1970 से 3 / 1973	1 से 118
10	4 / 1973 से 3 / 1975	1, 3, 7, 8(सी, ई), 9, 10(ए, बी, सी), 11(1, 2), 12 से 15, 17 से 20, 25, 27 से 35, 36(1, 2, 3), 37, 38(ए से एफ), 39, 40 से 45, 47(ए) 48 से 53, 55, 57, 62 से 90, 92 से 106, 107 से 131, 132(ए से एच) 133 से 140
11	4 / 1975 से 3 / 1978	1 से 9, 12, 13 से 29, 31 से 48, 51 से 60, 62, 64 से 86, 88 से 123

20 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 1991 से 3 / 1998

1	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(घ)(i, ii, iii, iv, v)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(घ, ङ, च)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत

10	पैरा 7(ड़)	अनिर्णीत
11	पैरा 7(च)	अनिर्णीत
12	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत
13	पैरा 7(ज)	अनिर्णीत
14	पैरा 7(झ)	अनिर्णीत
15	पैरा 7(ञ)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(ट)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(ठ)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(ड)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(ढ)	अनिर्णीत
20	पैरा 7(ण)	अनिर्णीत
21	पैरा 7(त से न)	अनिर्णीत
22	पैरा 7(फ से ल)	अनिर्णीत
23	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
24	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
25	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
26	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
27	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
28	पैरा 9(ङ)	अनिर्णीत
29	पैरा 9(च)	अनिर्णीत
30	पैरा 9(छ)	अनिर्णीत
31	पैरा 10(ii)	अनिर्णीत
32	पैरा 10(iii)	अनिर्णीत
33	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 13	अनिर्णीत
35	पैरा 14	अनिर्णीत
36	पैरा 16	अनिर्णीत
37	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
38	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
39	पैरा 17	अनिर्णीत
40	पैरा 19	अनिर्णीत

41	पैरा 21(6)	अनिर्णीत
42	पैरा 21(13)	अनिर्णीत
43	पैरा 21(22)	अनिर्णीत
44	पैरा 21(24)	अनिर्णीत
45	पैरा 21(27)	अनिर्णीत
46	पैरा 21(32)	आंशिक निर्णीत
47	पैरा 21(33)	आंशिक निर्णीत
48	पैरा 21(34)	आंशिक निर्णीत
49	पैरा 21(35)	आंशिक निर्णीत
50	पैरा 21(37)	अनिर्णीत
51	पैरा 21(38)	अनिर्णीत
52	पैरा 21(39)	अनिर्णीत
53	पैरा 21(40)	आंशिक निर्णीत
54	पैरा 21(41)	अनिर्णीत
55	पैरा 21(42)	अनिर्णीत
56	पैरा 21(44)	अनिर्णीत
57	पैरा 21(45)(क,ख)	अनिर्णीत
58	पैरा 21(45)(घ)	अनिर्णीत
59	पैरा 21(46)(क)	अनिर्णीत
60	पैरा 21(46)(ग)	अनिर्णीत
61	पैरा 21(46)(घ)	अनिर्णीत
62	पैरा 21(46)(ङ)	अनिर्णीत
63	पैरा 21(46)(च)	अनिर्णीत
64	पैरा 21(46)(द)	अनिर्णीत
65	पैरा 21(46)(न)	अनिर्णीत
66	पैरा 21(46)(फ)	अनिर्णीत
67	पैरा 21(46)(भ)	अनिर्णीत
68	पैरा 21(46)(म)	अनिर्णीत
69	पैरा 21(46)(य)	अनिर्णीत
70	पैरा 21(46)(र)	अनिर्णीत
71	पैरा 21(46)(ह)	अनिर्णीत

72	પૈરા 21(46)(ત્ર)	અનિર્ણીત
73	પૈરા 21(46)(ક)(2)	અનિર્ણીત
74	પૈરા 21(46)(ક)(4,5,6)	અનિર્ણીત
75	પૈરા 21(46)(ક)(8,9,10)	અનિર્ણીત
76	પૈરા 21(46)(ક)(12)	અનિર્ણીત
77	પૈરા 21(46)(ક)(14,15,16,17)	અનિર્ણીત
78	પૈરા 21(46)(ક)(19)	અનિર્ણીત
79	પૈરા 21(46)(ક) (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)	અનિર્ણીત
80	પૈરા 21(46)(ક) (33, 36ક,ખ,ગ, ઘ)	અનિર્ણીત
81	પૈરા 21(46)(ક)(34)	અનિર્ણીત
82	પૈરા 21(46)(ક)(35)	અનિર્ણીત
83	પૈરા 22(2)(3)(4)(5)	અનિર્ણીત
84	પૈરા 22(7)	આંશિક નિર્ણીત
85	પૈરા 22(8)	અનિર્ણીત
86	પૈરા 22(9)	આંશિક નિર્ણીત
87	પૈરા 22(10)	આંશિક નિર્ણીત
88	પૈરા 22(11,12,13)	અનિર્ણીત
89	પૈરા 22(15)	અનિર્ણીત
90	પૈરા 22(17, 18)	અનિર્ણીત
91	પૈરા 22(20)	અનિર્ણીત
92	પૈરા 22(22,23,24)	અનિર્ણીત
93	પૈરા 22(30,31,32,33)	અનિર્ણીત
94	પૈરા 22(36)	અનિર્ણીત
95	પૈરા 22(38)	અનિર્ણીત
96	પૈરા 22(43,44)	અનિર્ણીત
97	પૈરા 22(47)	અનિર્ણીત
98	પૈરા 22(50)	અનિર્ણીત
99	પૈરા 22(52,53,54)	અનિર્ણીત

100	पैरा 22(57 से 96 तक)	अनिर्णीत	
101	पैरा 22(98, 99)	अनिर्णीत	
102	पैरा 22(101, 102)	अनिर्णीत	
103	पैरा 23	अनिर्णीत	
104	पैरा 24(ख, ग, ङ)	अनिर्णीत	
105	पैरा 25(क, ख, ग)	अनिर्णीत	
106	पैरा 26(क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत	
107	पैरा 26(च, छ, ज, झ, ञ)	अनिर्णीत	
108	पैरा 26(ट, ठ)	अनिर्णीत	
21	अंकक्षेपण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/2007		
1	पैरा 1	अनिर्णीत	
2	पैरा 4(3)(क, ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(2)(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(2)(ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5(2)(ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा 5(2)(घ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
9	पैरा 7(3)	अनिर्णीत	
10	पैरा 7(7)	अनिर्णीत	
11	पैरा 7(10)	अनिर्णीत	
12	पैरा 7(16)(क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत	
13	पैरा 8(i)(ii)(iii)	आंशिक निर्णीत	
14	पैरा 10(ख, ग)	अनिर्णीत	
22	अंकक्षेपण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010 तक		
1	पैरा 3	निर्णीत	(दिनांक 24.7.14 को अंकक्षेपण शुल्क राशि ₹39,200 ड्राफ्ट सं० 594997, पी०एन०बी० धर्मशाला से बनवाकर निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दिया गया)

2	पैरा 4(i)(क)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा 4(i)(ख)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा 4(i)(ग)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
5	पैरा 4(i)(घ)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
6	पैरा 4(ii)(क)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
7	पैरा 4(ii)(ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(ii)(घ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 5	अनिर्णीत	
10	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 10(ख)(i)	अनिर्णीत	
14	पैरा 10(ख)(ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा 10(ख)(iii)	अनिर्णीत	
16	पैरा 10(ख)(iv)	अनिर्णीत	
17	पैरा 10(ख)(v)	अनिर्णीत	
18	पैरा 10(ख)(vi)	अनिर्णीत	
19	पैरा 11	अनिर्णीत	
20	पैरा 12	अनिर्णीत	
21	पैरा 12(i)	अनिर्णीत	
22	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 12(iii)	अनिर्णीत	
24	पैरा 12(iv)	अनिर्णीत	
25	पैरा 12(v)	अनिर्णीत	
26	पैरा 12(vi)	अनिर्णीत	
27	पैरा 13	अनिर्णीत	
28	पैरा 13(i)	अनिर्णीत	
29	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत	
30	पैरा 13(iii)	अनिर्णीत	
31	पैरा 14	अनिर्णीत	
32	पैरा 14(i)	अनिर्णीत	

33	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत	
34	पैरा 14(iii)	अनिर्णीत	
35	पैरा 14(iv)	अनिर्णीत	
36	पैरा 15	निर्णीत	(समुदायिक भवन सितम्बर 2013 से 2015 तक ₹43 लाख किराये पर देने उपरान्त)
37	पैरा 16	अनिर्णीत	
38	पैरा 17(i)	अनिर्णीत	
39	पैरा 17(ii)	अनिर्णीत	
40	पैरा 18	आंशिक निर्णीत	(कुल अग्रधन राशि ₹1,02,668 में से राशि ₹50,000 श्री जोगिन्द्र सिंह तथा ₹1000 श्री सुरेश कुमार के समोजन/वसूल किए जाने उपरान्त)
41	पैरा 19	अनिर्णीत	
42	पैरा 19(क)	अनिर्णीत	
43	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत	
44	पैरा 20(क)(i)	अनिर्णीत	
45	पैरा 20(क)(ii)	अनिर्णीत	
46	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत	
47	पैरा 20(ग)	अनिर्णीत	
48	पैरा 20(ग)(i)	अनिर्णीत	
49	पैरा 20(ग)(ii)	अनिर्णीत	
50	पैरा 20(ग)(iii)	अनिर्णीत	
51	पैरा 21	अनिर्णीत	
52	पैरा 22	अनिर्णीत	
53	पैरा 22(i)	निर्णीत	(लॉग बुक के सत्यापन किए जाने उपरान्त)
54	पैरा 22(ii)	अनिर्णीत	

55	पैरा 22(iii)	निर्णीत	(लॉग बुक के सत्यापन उपरान्त)
56	पैरा 23	अनिर्णीत	
57	पैरा 24	अनिर्णीत	
23 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012			
1	पैरा 6(1)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6(2)	निर्णीत	(राशि ₹180 दिनांक 3.11.2011 को जमा करवा दी गई)
3	पैरा 6(3)	निर्णीत	(राशि 120 दिनांक 3.11.2012 को जमा करवा दी गई)
4	पैरा 6(4)	आंशिक निर्णीत	(दिनांक 12.12.2012 को पी0एन0बी0 बचत खाता सं0 1060002 राशि ₹6,03,227 के साथ खोल दिया गया)
5	पैरा 7(क)	निर्णीत	(पैरे में वर्णित ब्याज को रोकड़ बही में लेने के उपरान्त)
6	पैरा 8	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
7	पैरा 9(क)	अंशतः निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा वेतन भुगतान ई0सी0आर0 में इन्द्राज लेने उपरान्त किया जा रहा है)
8	पैरा 9(ख)(1)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9(ख)(2)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
10	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 10(ख)(ii)	निर्णीत	(राशि ₹133 रसीद सं0 227/47 व राशि ₹725 रसीद सं0 227/46 दिनांक 19.2.2013 द्वारा वसूल किए गए)
12	पैरा 10(ग)	निर्णीत	(राशि ₹821 कर्मचारी के वेतन माह नवम्बर देय माह दिसम्बर 2012 में की गई)
13	पैरा 11(क)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
14	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत	

15	पैरा 12	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
16	पैरा 12(क)	अनिर्णीत	
17	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत	
20	पैरा 13(क)	अनिर्णीत	
21	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत	
23	पैरा 13(घ)	अनिर्णीत	
24	पैरा 13(ङ)	अनिर्णीत	
25	पैरा 13(च)	अनिर्णीत	
26	पैरा 13(छ)	अनिर्णीत	
27	पैरा 13(ज)(i)	अनिर्णीत	
28	पैरा 13(ज)(ii)	अनिर्णीत	
29	पैरा 13(ज)(iii)	अनिर्णीत	
30	पैरा 13(ज)(iv)	अनिर्णीत	
31	पैरा 13(ज)(v)	अनिर्णीत	
32	पैरा 13(ज)(vi)	अनिर्णीत	
33	पैरा 13(ज)(vii)	अनिर्णीत	
34	पैरा 13(झ)(i)	अनिर्णीत	
35	पैरा 13(झ)(ii)	अनिर्णीत	
36	पैरा 13(झ)(iii)	अनिर्णीत	
37	पैरा 13(ञ)(1)	अनिर्णीत	
38	पैरा 13(ञ)(2)	अनिर्णीत	
39	पैरा 13(ञ)(3)	अनिर्णीत	
40	पैरा 13(ञ)(4)	अनिर्णीत	
41	पैरा 13(ञ)(5)	अनिर्णीत	
42	पैरा 13(ञ)(6)	अनिर्णीत	
43	पैरा 13(त)(1)	अनिर्णीत	
44	पैरा 13(त)(2)	अनिर्णीत	
45	पैरा 13(थ)(1)	अनिर्णीत	

46	पैरा 13(थ)(2)	अनिर्णीत
47	पैरा 13(थ)(3)	अनिर्णीत
48	पैरा 13(द)(1)	अनिर्णीत
49	पैरा 13(द)(2)	अनिर्णीत
50	पैरा 14(1)	अनिर्णीत
51	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
52	पैरा 14(3)	अनिर्णीत
53	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
54	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
55	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
56	पैरा 16	अनिर्णीत
57	पैरा 17	आंशिक निर्णीत (कुल अग्रधन राशि ₹1,04,000 में से राशि ₹68,000 के समायोजन वसूली उपरान्त)
58	पैरा 18(i)	अनिर्णीत
59	पैरा 18(ii)	अनिर्णीत